[2022] 11 एस. सी. आर 724

हिमांशु कुमार और अन्य

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(2009 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 103)

14 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

आपराधिक कानून-भारत का संविधान-अनुच्छेद 32-पुनः जांच/आगे की जांच के लिए अनिवार्यता की मांग करने वाली याचिका-छत्तीसगढ़ राज्य के तीन गांवों में आदिवासियों के कथित क्रूर नरसंहार की दो घटनाएं-रिट याचिकाकर्ताओं का मामला कि छत्तीसगढ़ पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ), सलवा जुडूम (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित सतर्क लोगों का समूह) और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियनों से युक्त अर्धसैनिक बल कथित नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे

क्या रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से दोनों घटनाओं की जांच के लिए कोई मामला बनाया गया था

जाँच (सीबीआई)-आयोजितः की असाधारण शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः संवैधानिक न्यायालयों को जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करने का उपयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए-आगे की जांच या पुनः जांच की आवश्यकता तय करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और परिवेशक परिस्थितियों का एकल मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए-कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि किसी अपराध की जांच किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए-एक पीड़ित व्यक्ति केवल यह दावा कर सकता है कि वह जिस अपराध का आरोप लगाता है उसकी ठीक से जांच की जाए, लेकिन उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि इसकी जांच उसकी पसंद की किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।

और केवल "असाधारण परिस्थितियों में"-तथ्यों पर, रिट याचिका यह धारणा देती है कि उचित जांच नहीं की जा रही थी और इसलिए, इसे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए -

हालांकि, तथ्य यह है कि जांच पहले ही की जा चुकी थी और आरोप पत्र दायर किए जा चुके थे।

इस मामले में, यह स्पष्ट था कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किसी भी आगे की जांच के लिए नाम के लायक कोई मामला नहीं बनाया गया है।

724 हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आपराधिक कानून-जाँच-जाँच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग "संयम से" और केवल "असाधारण परिस्थितियों में" किया जाना चाहिए। आपराधिक कानून-सी. आर. पी. सी. यह परिभाषित नहीं करता है कि अपराध का "आरोप" क्या है या अपराध की राशि क्या है।

" आपराधिक कार्यवाही की स्थापना-"आरोप" का गठन करने के लिए बयान आपराधिक कानून को गति देने के इरादे और उद्देश्य के साथ दिया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.340 r/ws। 195 - दंड संहिता, 1860-एस. एस. 191 और 193-झूठी गवाही-झूठ बोलने का अपराध

शपथ पत्र देना और झूठा सबूत देना-आयोजितः दो शर्तें हैं, जिनके पूरा होने पर, अदालत के समक्ष कार्यवाही में गलत हलफनामा या सबूत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है-पहली शर्त यह है कि किसी व्यक्ति ने अदालत के समक्ष कार्यवाही में गलत हलफनामा दिया है और दूसरी बात, अदालत की राय में न्याय के हित में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में जांच करना समीचीन है-कुछ जानबूझकर होना चाहिए-एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए जो इसकी तुलना निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा से करने के परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है-झूठी गवाही के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले, संबंधित अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस तरह के अभियोजन को मंजूरी देना न्याय के हित में समीचीन होगा।

दंड संहिता, 1860-एस। 211 - आह्वान के लिए आवश्यक सामग्री

एस. 211 – चर्चा की।

रिट याचिका को खारिज करना और निपटाना

पकड़नाः 1.1 एक उपयुक्त मामले में जब न्यायालय को लगता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित नहीं है निर्देश, और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए और यदि उच्च पुलिस अधिकारी कथित अपराध में शामिल हैं, तो अदालत को ऐसी परिस्थितियों में सौंपना उचित हो सकता है

जाँच सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी अदालत को एक मामले में अधिकार प्राप्त है

जांच को एक स्वतंत्र [2022] 11 एस. सी. आर. को सौंपने के लिए उपयुक्त मामला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. बी. आई. जैसी एजेंसी। की असाधारण शक्ति क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक न्यायालय

सच्चाई को उजागर करने और पक्षों को न्याय दिलाने के लिए आगे की जांच या पुनः जांच की आवश्यकता है। न्यायालय की प्रमुख चिंता और प्रयास न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। सत्य तथ्यों के आधार पर जिनका पता एक प्रतिबद्ध, संकल्पित और एक सक्षम जांच एजेंसी के माध्यम से लगाया जाना चाहिए। [पारस

46 , 47] [774 - बी-डी, एफ-एच]

1.2 . कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि किसी अपराध की जांच किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए। एक व्यथित व्यक्ति केवल यह दावा कर सकता है कि अपराध जिसकी वह ठीक से जाँच करने का आरोप लगाता है, लेकिन उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि इसकी जाँच उसकी किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।

चयन करें। [पैरा 52] [776-बी-सी] 1.3 . जाँच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग "संयम से" और केवल "असाधारण परिस्थितियों में" किया जाना चाहिए। [पैरा

53] [776 - डी]

2.1 तत्काल मामले में, सभी प्राथमिकियों की जांच की गई थी

आई. पी. सी. के तहत हत्या, डकैती आदि जैसे अपराधों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। [पैरा 55] [776-एफ-जी] 2.2 . अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आगे की जांच या पुनः जांच के लिए नाम के लायक कोई मामला भी नहीं हो सकता है।

कहा जाता है कि बनाया गया है। ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राथमिकियों की जांच के समापन पर आरोप पत्र दाखिल करने से संकेत मिलता है कि कथित नरसंहार समाप्त हो गया था

नकसलवादियों (माओवादियों) का। आरोप पत्र के रूप में एकत्र की गई सामग्री उत्तरदाता हिमांशु कुमार और अन्य बनाम द्वारा रखे गए मामले की पुष्टि करती है।

कि ग्रामीणों पर माओवादियों ने हमला किया और उन्हें मार डाला। जाँच में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर पुलिस बल के सदस्यों की ओर एक उंगली भी उठाई जा सके। [पारस 56 और 57] [776-जी-एच; 777-ए-बी]

2.3 . रिट याचिका में यह धारणा दी गई है कि उचित जांच नहीं की जा रही है और इसलिए इसे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। हालांकि, तथ्य यह है कि जांच पहले ही की जा चुकी है और आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। [पैरा 58] [777-बी-सी]

2.4 . अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि वे सभी

जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं, वे फरार हैं। अब यह संबंधित निचली अदालत पर है कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाए। यदि आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति हैं

फरार होने पर जाँच एजेंसी से उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अब यह निचली अदालत पर है कि वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करे। [पैरा 64] [781-एफ-एच]

2.5 . मामले के समग्र दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किसी भी आगे की जांच के लिए नाम के लायक कोई मामला नहीं बनाया गया है। उपरोक्त तथ्यों में

मामला, लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं। [पैरा 65] [781-एच; 782-ए-बी]

एक अपराध करने के साथ। शिकायतकर्ता को शिकायत करते समय पता होना चाहिए कि व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कोई उचित या वैध आधार नहीं है। यह शिकायत किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से दी गई होनी चाहिए। [पैरा 90] [802-डी-ई]

3.2 . सी. आर. पी. सी. यह परिभाषित नहीं करता है कि निर्माण क्या है।

किसी अपराध के "आरोप" का या जो "आपराधिक कार्यवाही की स्थापना" के बराबर है। लेकिन, एक झूठा "आरोप" नहीं होना चाहिए

किसी भी प्रतिबंधित या तकनीकी अर्थ में समझा जाता है, लेकिन अपने सामान्य [2022] 11 एस. सी. आर.

अर्थात्, इसकी जाँच करने या इसके संबंध में कोई कदम उठाने के लिए कानून द्वारा बाध्य किसी भी प्राधिकारी पर लगाए गए झूठे आरोप, जैसे कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देने की दृष्टि से जाँच या अन्य कार्यवाही, और आपराधिक कार्यवाही की स्थापना में गति में आपराधिक कानून की स्थापना शामिल है।

[पैरा 91] [802-ई-एफ]

3.3 . आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध का अनिवार्य घटक किसी भी अपराधी को स्थापित करना या स्थापित करना है। किसी व्यक्ति के खिलाफ उसे चोट पहुँचाने के इरादे से या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाने के समान इरादे से कार्यवाही करना, यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है। झूठी आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या शुरू करना गलत आरोप माना जाता है लेकिन कोई आपराधिक कार्यवाही न होने पर भी झूठे आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब, इस धारा में "झूठे आरोप" अभिव्यक्ति का अर्थ आपराधिक मुकदमे के दौरान किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गलत सबूत देना नहीं हो सकता है। " झूठा आरोप लगाने के लिए "मूल या प्रारंभिक आरोप लगाने या आपराधिक जांच के तंत्र को गति देने की मांग को संदर्भित करना चाहिए, न कि उस मुकदमे में बनाए गए आरोप के समर्थन में बयान देकर झूठे आरोप को साबित करने की कोशिश करते समय। शब्द हैं।

" झूठे आरोपों को "आपराधिक कार्यवाही की संस्था" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होने के कारण इन दोनों अभिव्यक्तियों को समझना चाहिए

उनका उपयोग उनके संज्ञानात्मक अर्थों में किया गया है। उन्हें एक-दूसरे से अपना रंग और सामग्री मिलती है। ऐसा लगता है कि उनका उपयोग तकनीकी अर्थों में किया गया है जैसा कि आमतौर पर हमारे आपराधिक कानून में समझा जाता है। इसलिए, झूठा आरोप शुरू में किसी अधिकारी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जो अपराधी को उचित कार्यवाही द्वारा दंडित करने की स्थिति में हो। दूसरे शब्दों में, यह या तो शिकायत में या पुलिस अधिकारी या उस व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले अधिकारी को संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में सन्निहित होना चाहिए जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। बयान में कहा "आरोप" का गठन करने के लिए आपराधिक कानून को लागू करने के इरादे और उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए। [पैरा 94] [804-डी-एच; 805-ए]

लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण, पश्चिम बंगाल (2010) 3 एस. सी. सी. 571 [2010] 2 एस. सी. आर. 979-इसके बाद।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

के. वी. राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई, (2013) 12 एस. सी. सी. 480: [2013] 9 एससीआर 199-पर भरोसा किया गया। सचिव, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, यू. पी. बनाम. सहंगू राम आर्य और अन्न। (2002) 5 एस. सी. सी. 521; रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) 10 एससीसी 753: [2013] 9 एससीआर 199; नर्मदा बाई बनाम। गुजरात राज्य (2011) 5 एससीसी 79: [2011] 5 एस. सी. आर. 729; संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम। भारत संघ (2016) 1 एससीसी 1:

[2015] 12 एस. सी. आर. 498; ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ

(2018) 7 एस. सी. सी. 365; [2018] 6 एस. सी. आर. 522; डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम। केरल राज्य (2008) 3 एस. सी. सी. 542: [2008] 4 एससीआर 701; K.Karunakaran वी। टी. वी. ईचेरा वारियर

एस. सी. आर. 1144; आरिश असगर कुरैशी बनाम। फरीद अहमद कुरैशी और एक अन्य (2019) एससीसी 172: [2019] 3 एस. सी. आर. 400; शरद पवार बनाम जगमोहन डालमिया (2010) 15 एस. सी. सी. 290; पंजाब राज्य बनाम जसबीर सिंह (2020) 12 एस. सी. सी. 96; संतोख सिंह और अन्य। वी. इजहार हुसैन और अन्न। (1973) 2 एससीसी 406: [1974] 1 एससीआर 78 और एम. एल. सेठी बनाम आर. पी. कपूर एयर 1967 एस. सी. 528: [1967]

1 एस. सी. आर. 520-संदर्भित। सी. बी. आई. एंड अदर वी. राजेश गांधी और एक अन्य 1997 Cr.L.J 63 ने पुष्टि की।

करीम बक्स बनाम। रानी साम्राज्य 17 सी. 574-संदर्भित।

2] 11 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 979

पीछा किया।

पै

रा 44

(2002) 5 एस. सी. सी. 521

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2013] 9 एससीआर 199

उस पर भरोसा करें

पै

रा 48

[2011] 5 एससीआर 729

पै

रा 51

संदर्भित किया गया है

[2015] 12 एससीआर 498

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

[2018] 6 एससीआर 522

पै

रा 51

संदर्भित किया गया है

[2008] 4 एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

[1978] 2 एससीआर 209

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[1966] 3 एससीआर 552

पै

रा 74

संदर्भित किया गया है

[1971] पूरक। एससीआर 172

संदर्भित किया गया है

पै

रा 75

(1982) 1 एस. सी. सी. 466

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

[2010] 14 एससीआर 227

पै

रा 77

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 722

संदर्भित किया गया है

पै

रा 79

[2011] 5 एससीआर 329

पै

रा 80

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 1144

संदर्भित किया गया है

पै

रा 82

[2019] 3 एससीआर 400

पै

रा 83

संदर्भित किया गया है

(2010) 15 एससीसी 290

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

(2020) 12 एससीसी 96

संदर्भित किया गया है

पै

रा 86

[1974] 1 एससीआर 78

संदर्भित किया गया है

पै

रा 93

[1967] 1 एससीआर 520

पै

रा 96

संदर्भित किया गया है

न्यायनिर्णयः राइट पेटिट

आपराधिक मूल

(आपराधिक) 2009 की सं. 103।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

कॉलिन गोंजाल्विस, सीनियर एड. , सुश्री स्नेहा मुखर्जी, सत्या एम.

अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., रजत नायर, शाइ

मडियाल, सुश्री नीला केदार गोखले, सुश्री दीक्षा राय, बालेन्दु शेख अरविंद कुमार शर्मा, बी. वी. बलराम दास, सुमीर सोधी, अभिस लालवानी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका कथित नरसंहार से संबंधित है जो क्रमशः 17 सितंबर 2009 और 1 अक्टूबर 2009 को गोम्पड़ के गचनपल्ली गांवों में हुआ था।

और बेलपोचा क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। 2. यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला है कि छत्तीसगढ़ पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ), सलवा जुडूम के कार्यकर्ता (के समूह)

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित सतर्क व्यक्ति) और

सी. आर. पी. एफ. और सी. ओ. बी. आर. ए. बटालियनों से युक्त अर्धसैनिक बल ऊपर उल्लिखित संबंधित गाँवों में आदिवासियों के कथित क्रूर नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। 3. उपरोक्त संदर्भ में, रिट याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

" (क) प्रत्यर्थियों को आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें कि वे सी. बी. आई. को निर्देश दें।

17.9.2009 और 1.10.2009 पर हुए नरसंहारों के संबंध में याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में जांच और अभियोजन पर

जैसा कि इस याचिका में बताया गया है;

(ख) पीड़ितों और उनके परिवारों को अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन, उनकी संपत्तियों की लूट, उनके घरों को जलाने और उत्तरदाताओं और उनके एजेंटों की गैरकानूनी गतिविधियों के कारण पीड़ितों को हुए अन्य नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाला आदेश पारित करें;

(ग) ऐसा कोई भी आदेश या आदेश पारित करें, जो यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। ऊपर बताया गया है।

4. 2010 के आपराधिक एम. पी. No.3173 के माध्यम से, आगे की राहत

निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की गई हैः

" (क) छत्तीसगढ़ राज्य को श्री शंकर सेन (आई. पी. एस.) Dr.K.S.Subramanian, आई. पी. एस. और Mr.Rajneesh की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन करने और उसे अधिसूचित करने का आदेश।

राय, डी. आई. जी. और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें एस. आई. टी. [2022] 11 एस. सी. आर. मान सकती है।

एन. एच. आर. सी. बनाम गुजरात राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 342,767) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एस. आई. टी. के उचित कामकाज के लिए अतिरिक्त निर्देशों के साथ आवश्यक।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को उत्पादन करने का निर्देश देने वाला आदेश

दिल्ली में याचिकाकर्ता 2-12 और उन्हें सौंप दें

Dr.Mohini गिरि, अध्यक्ष, गिल्ड फॉर सर्विसेज, 'शुभम',

सी-25, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली;

(ग) याचिकाकर्ता को अनुमति देने वाला आदेश सं। 1 और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नं। 1 गिल्ड फॉर सर्विसेज, नई दिल्ली में याचिकाकर्ताओं से मिलने के लिए अपने दुभाषियों के साथ

(घ) गिल्ड फॉर सर्विसेज, नई दिल्ली के अध्यक्ष से याचिकाकर्ताओं का साक्षात्कार करने और एक याचिका दायर करने का अनुरोध करने का आदेश इस न्यायालय को रिपोर्ट करें। "

5. वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य हो सकते हैं -

6. रिट याचिकाकर्ता नं. 1 , हिमांशु कुमार स्वयं वनवासी चेतना आश्रम, कंवलनार-दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के नाम से एक गैर सरकारी संगठन चलाने का दावा करता है। वह बस्तर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए एक गैर सरकारी संगठन चलाने का दावा करता है। वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अन्य आदिवासियों की मदद करने का भी दावा करता है। 7. रिट याचिकाकर्ता सं। 2 कथित नरसंहार के पीड़ितों के परिजन क्रमशः 13 हैं।

8. यह याचिकाकर्ता नं. 1 कि ऊपर उल्लिखित दो भयावह घटनाओं के बाद, आदिवासी सदमे की स्थिति में हैं। वे.

लगातार ऊपर उल्लिखित विशेष बलों द्वारा मारे जाने के डर में रहते हैं।

9. यह उनका मामला है कि आदिवासियों की मदद करने और उनके लिए न्याय पाने की दृष्टि से, उन्होंने इस उद्देश्य को अपनाया और वर्तमान को प्राथमिकता देने के लिए उचित सोचा।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) के माध्यम से कथित नरसंहार की जांच की मांग करने वाली याचिका और एक उपयुक्त

पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

10. यह याचिकाकर्ता नं. 1 कि उन्होंने कथित सामूहिक हत्याओं के संबंध में आदिवासियों को उनकी संबंधित शिकायतें दर्ज करने में मदद की हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

यह क्रमशः 17 सितंबर 2009 और 1 अक्टूबर 2009 को हुआ था।

11. याचिकाकर्ता के अनुसार नं. 1 , जीभ और अन्य भाग

याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के शरीर, जैसे ऊपरी अंग, निचले अंग, आदि। 2 क्रमशः 13 को सुरक्षा बल द्वारा काट दिया गया था। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने शिशुओं को भी नहीं बख्शा। यह भी आरोप लगाया जाता है कि एक 70 वर्षीय आदिवासी महिला का स्तन था

काट दिया और पुलिस बलों के सदस्यों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह भी आरोप लगाया जाता है कि एक 2 साल के शिशु की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आदिवासियों के घर जला दिए गए। धन और संपत्ति लूट ली गई।

12. यह भी बताया गया है कि 8 जनवरी 2009 को 19

दंतेवाड़ा जिले की कोंटा तहसील के गांव सिंगाराम में उपरोक्त बलों द्वारा लोगों की हत्या कर दी गई थी।

13. 18 मार्च 2008 को मतवाड़ा, सलवा में 3 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी।

छत्तीसगढ़ पुलिस और एस. पी. ओ. एस. द्वारा जुडुम कैम्प, जिला बीजापुर।

14. यह इंगित किया गया है कि उपरोक्त दो के संबंध में

घटनाएँ, यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाया गया था।

15. यह याचिकाकर्ता नं. 1 कि विशेष बलों के रूप में

और छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं आदिवासियों के कथित क्रूर नरसंहार में शामिल है, सभी शिकायतों की जांच सी. बी. आई. के अलावा किसी और के कहने पर नहीं होनी चाहिए।

16. याचिका के ज्ञापन में, जानकारी के रूप में

याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों के संबंध में। 2 क्रमशः 13 तक और मृतक को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

मृतक के नाम के गाँव के साथ संबंध की तिथि

याचिकाकर्ता नं.

मृतक व्यक्ति

हत्याएं

पितृतुल्य चाचा

गोंपैड

माधवी बाजार

2

01.10.09

सोयाम राम

मातृ चाची

गोंपैड

माधवीसुबी

01.10.09

कू। माधवीमुट्टी

भतीजी।

गोंपैड

01.10.09

भतीजी।

गोंपैड

श्रीमती कर्तव्य कुन्नी

01.10.09

भतीजे।

माधवी एनका

गोंपैड

01.10.09

बेलपोचा

बेटा।

कुंजमहुरा

01.10.09

श्री कुंजम

गच्छनपल्ली मदवी हद्मा

भाई।

4

17.09.09

श्री मदवी

हिडमा

गच्छनपल्ली मदवी देव

17.09.09

5

बेटा।

श्री मदवी सुकड़ा

17.09.09

गच्छनपल्ली दुधी मोये

6

चाची।

श्री मदवी

पोज्जा

सोयाम सुब्बा

01.10.09

7

बेटा।

गोंपैड

श्री सोयाम दुल्ला

पति

8

नुल्कातोंग मुचाकी मुक्का

01.10.09

श्रीमती. मुचाकी

सुकड़ी

बहन।

गच्छनपल्ली दुधी मोये

17.09.09

9 माधवी हुर्रे

गच्छनपल्ली माधवी डोरा

10

पिता।

17.09.09

श्री मदवी राजा

गच्छनपल्ली मडकम चूला

पति

17.09.09

11

Smt.Madkam

मुके

12

पिता।

गच्छनपल्ली कोवासी गंगा

17.09.09

श्री कोवासी कोसा

याचिकाकर्ता No.13

स्वयं

गोंपैड

13

01.10.09

स्वयं (घायल)

सोधी साम्बो

शूटिंग के लिए)

17. अलग-अलग तारीखों पर हुई कथित हत्याओं का विवरण भी मिला है।

याचिका के ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया। फिर भी हम हो सकता है कि शब्दशः हमारे क्रम में उसी का पुनरुत्पादन न करें।

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार हैः

शिकायतकर्ता अभियुक्त

अंतिम वर्तमान स्थिति

का सार

एफ. आई. आर. नं.,

इसका सार

तिथि, पीएस,

आरोप-प्रत्यारोप

रिपोर्ट करें।

अनुभाग

7

5

4

6

2

3

पीएस-भेज्जी

श्री रवींद्र

अज्ञात

जानकारी के बारे में

बंद के अनुसार

माओवादी

सिंह, सहायक

डी. -

जांच कर रहे हैं।

के बारे में

रि

पोर्ट थी

संवर्ग और उपस्थिति

कमांड। 201

अधिकारी, यहाँ तक कि

18.09.2009

स्वी

कार किया गया

26

.10.2010 द्वारा

अपराध नं.

कोबरा बीएन।

संगम

नक्सल कैडर, एक

लंबे समय के बाद

सदस्य। नक्सल विरोधी

वि

द्वान

खोजो, नहीं

04/2009

धारा-147,

मुख्

य न्यायिक

अभियुक्त थे -

ऑपरेशन था

शुरू किया गया

पाया गया और नहीं

म

जिस्ट्रेट,

148 , 149 , 307

16.9.2009 से

की संभावना

आई. पी. सी. 25,27

दंते

वाड़ा।

ढूँढना

पीएस बेजजी

शस्त्र अधिनियम।

आरोपी पास में

की ओर

गच्छन्पल्ली,

भविष्य,

ऐतराजपद और

बंद करने की रिपोर्ट

एंटपैड बाय द

अग्रेषित किया गया

सुरक्षा बल।

20.10.2010 से

विद्वान सीजेएम,

माओवादियों ने

एक प्रयास किया। दंतेवाड़ा

एस. एफ. एस. को मारने के लिए

होने के कारण

बंदूक-आग, विफल अधिकार क्षेत्र।

तो, भाग गया

उन्हें जला रहे हैं।

गुप्त ठिकाने।

इसके अनुसार

बंद

करने की

16.09.2009 पर अज्ञात,

श्री.

पी. एस. चिंटागुफा प्रेमप्रकाश जांच कर रहे पुलिस दल को वर्दी पहनाई

रि

पोर्ट थी

वढिया, उप महिला और के लिए छोड़ दिया

अधिकारी, यहाँ तक कि

स्वी

कार किया गया

डी. -

26

.10.2010 द्वारा

इंस्पेक्टर

पुरुष

सिंगनमाडगु के लिए

लंबे समय के बाद

20.09.2009

खोजो, नहीं

वि

द्वान

अपराध नं.

पीएस। - सुकमा

नकसलवादी

नक्सल विरोधी

मुख्य न्यायिक

लगभग 200

से संचालन

अभियुक्त थे -

10/2009

पुलिस स्टेशन

300 में

पाया गया और नहीं

धारा-307,

मजिस्ट्रेट,

395 , 397 ,

चिंटागुफा। उस पर

की संभावना

दंतेवाड़ा।

संख्या।

ढूँढना

सुबह की

147 , 148 ,

17.09.2009 ,

149 , 302 आईपीसी,

आरोपी पास में

पार्टी कब होगी

भविष्य,

25 , 27 हथियार

बंद करने की रिपोर्ट

अधिनियम, 3,4

पहुँच गया।

अग्रेषित किया गया

घने जंगल

विस्फोटक

उप. एक्ट करें।

सिंगनमाडगु,

20.10.2010 से

विद्वान सीजेएम,

शिविर का

नकसलवादी थे

दंतेवाड़ा

कहाँ से देखा

होने के कारण

अधिकार क्षेत्र।

कुछ हथियार

और अन्य वस्तुएँ

बरामद किए गए।

इससे पहले,

आगे, वहाँ

एक ईओएफ था

एस. एफ. के साथ

माओवादी, जहाँ ए

ए का मृत शरीर

माओवादी थे

ठीक हो गया। वहाँ

कुछ देर बाद

200-300

अज्ञात

नक्सालियों ने फिर से शीर्ष अदालत की रिपोर्ट पेश की

[202

2]

घेराबंदी की

पुलिस दल और

हमला किया।

सुरक्षा बलों,

सहायक

कमांडेंट

श्रीराम

मनोरंजन,

सहायक

कमांडेंट

श्री राकेश

कुमार

चौरसिया, उप

इंस्पेक्टर श्री

सुशील कुमार

वर्मा, हेड

सिपाही ललित

सिपाही

मनोहरलाल

चंद्रा और

सिपाही उदय

कुमार यादव

कोबरा

कंपनी थी

शहीद हुए और

चार अन्य -

सिपाही हरीश

ठाकुर,

सिपाही

कमलवोशे और

सिपाही

मोहम्मद

हुसैन कुरैशी

कम्पनी सेहो

घायल हो गए।

टी के अनुसार

03. पीएस-भेज्जी

श्री.

अज्ञात

जिस पर

मात्रम बरिहा, वर्दीधारी

की जानकारी

पुनः जाँच कर रहे हैं

डी. -

हेड कांस्टेबल

नकसलवादी

माओवादी बढ़ गए

अधिकारी, यहाँ तक

कि

25.11.2009

ए

बड़े पैमाने पर

लंबे समय के बाद

गतिविधियाँ और

अपराध नं.

- 156 पीएस। -

2

की उपस्थिति

संख्याएँ।

05/2009

भेज्जी

खोजो, नहीं

टी.

धारा-147,

छिपने के शिविर

अभियुक्त थे -

सी.

हथियारबंद माओवादी

पाया और कोई एम

पर नहीं

148 , 149 , 307

आई. पी. सी. 25,27

गोम्पड में

डी की संभावना

ढूँढना

गाँव का पीएस

शस्त्र अधिनियम।

बंद करने की रिपोर्ट

भेज्जी, तीन
आरोपी पास में
कोबरा की टीमें
भविष्य,
201 बीएन।
अग्रेषित किया गया
एक पर रवाना हुआ
नक्सल विरोधी
20.10.2010 से
विद्वान सीजेएम,
संचालन चालू
30.09.2009 से
दंतेवाड़ा
इंजराम। उस पर
होने के कारण
01.10.2009 इस अधिकार क्षेत्र में।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

हमला किया गया था

एक घात बनाएँ

में नक्सालियों द्वारा

गोंपैड के साथ

के उद्देश्य

एस. एफ. को मारना।

आरोप पत्र

पीएस-भेज्जी

श्री सोयाम

अज्ञात

08.01.2010 पर

स्था

यी

दाखिल किया गया

जानकारी पर

हथियारबंद

राम।

गैर

-जमानती

डी. -

जोड़ें। - गोंपैड

वर्दीधारी।

आवेदक का

वारं

ट है

08.01.2010

09.09.2010

अपराध नं.

व्यक्ति 10 के खिलाफ सोयाम रामा एस/ओ

जा

री किया गया

नामित

सोयमकन्ना

01/2010

के

खिलाफ

20-25 .

निवासी गोम्पड

धारा-396,

फरार

द्वा

रा आरोपित

397 आईपीसी, 25,

एब्स्कॉन्डिन

गाँव, एक एफ. आई. आर.

अभियुक्त यू/सेक।

मा

ननीय।

अभियुक्त-01/2010 आई. पी. सी. 396,397, न्यायिक के

तहत

27 शस्त्र अधिनियम।

1

सेक. 396 , 397

25 , 27 हथियार

म

जिस्ट्रेट

वेंकटेश

आई. पी. सी. 25,27

एक्ट करें।

प्रथ

म श्रेणी

शस्त्र अधिनियम था

एस/ओ

(

जेएमएफसी)

अज्ञात

पीएस में पंजीकृत

कों

टा।

2 - राजेश भेज्जी और ले जाया गया

में

उर्फ जोगा

जाँच

एस/ओ

अज्ञात

अज्ञात के खिलाफ

3 - विजय

नकसलवादी

हत्या का कारण

उपनाम

एकन्ना

7 लोगों की मौत

4 - सावित्री

नाम-माधवी

बाई डब्ल्यू/ओ

बाजार,

अज्ञात

माधवीसुब्बी,

5 - मनीला माधवीमुट्टी,

डब्ल्यू/ओ

कट्टमकन्नी,

माधवी एनका,

अज्ञात

सोयामसुब्बा

6 - भीम

और सोयाम जोगी।

एस/ओ

अज्ञात

7 - जयराम

एस/ओ

अज्ञात

8 - समिता

डब्ल्यू/ओ

चंद्राना

9 - भास्कर

राजेश एस/ओ

वेंकटस्वे

आरएलयू

10 - कविता

डी/ओ जयराम

आरोप पत्र

पीएस-भेज्जी

श्री.

20-25

21.02.2010 पर

स्था

यी

दाखिल किया गया

गैर

-जमानती

डी. -

माधवीहद्मा

रिपोर्ट पर अज्ञात

वर्दीधारी आवेदक माधवी। 09.09.2010

21.02.2010

जोड़ें।

वारं

ट है

10 के खिलाफ हद्मा निवासी

अपराध नं.

जा

री किया गया

गच्छनपल्ली

व्यक्ति

06/2010

गाँव।

गच्छन्पल्ली का नाम

के

खिलाफ

ले जाना

एफ. आई. आर. सं.-06/2010 फरार

धारा-147,

बंदूक और

बन्दा द्वारा आरोपित। धाराओं के तहत-अभियुक्त यू/सेक।

माननीय।

148 , 149 , 302

आई. पी. सी. 25,27

147 , 148 , 149 , 147 , 148 , 149

, न्यायिक आई. पी. सी. 272 और आई. पी. सी. 25,302,25,27 मजिस्ट्रेट

शस्त्र अधिनियम।

प्रथ

म श्रेणी

27 शस्त्र अधिनियम

शस्त्र अधिनियम।

(

जेएमएफसी)

पंजीकृत किया गया था

कों

टा।

पीएस-भेज्जी

अज्ञात के

खिलाफ [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नकसलवादियों के लिए

माधवी की हत्या

हिडमा, माधवी

जोगा, कवासी

गंगा,

मडकामी चूला

& दुधी मुये।

06 . पीएस-भेज्जी श्री कोमराम अज्ञात 21.02.2010 स्थायी आरोप पत्र पर

दाखिल किया गया

की संख्या

की रिपोर्ट पर

गैर-जमानती

डी. -

लच्छा

09.09.2010

आवेदक माधवी

वारंट है

जोड़ें।

20-30

22.02.2010

हद्मा निवासी

10 के खिलाफ

जारी किया गया

अपराध नं.

चिंटागुफा

लोग

गच्छन्पल्ली का नाम

के खिलाफ

07/2010

धारण करना

एफ. आई. आर. सं.-06/2010 फरार

धारा-147,

द्वारा आरोपित

बंदूक अंदर

माननीय।

धाराओं के तहत-अभियुक्त यू/सेक।

148 , 149 , 302

वर्दी।

आई. पी. सी. 25,27

147 , 148 , 149 , 147 , 148 , 149 ,

न्यायिक अपहरण आई. पी. सी. आई. पी. सी. आई. पी. सी.

शस्त्र अधिनियम।

प्रथम श्रेणी
(जेएमएफसी)

1

पंजीकृत किया गया था

वेंकटेश

पीएस-भेज्जी

कोंटा।

अज्ञात के खिलाफ

एस/ओ

अज्ञात

नकसलवादियों के लिए

2 - राजेश की माधवी की हत्या

उर्फ जोगा

हिडमा, माधवी

जोगा, कवासी

एस/ओ

अज्ञात

गंगा,

3 - विजय

मडकामी चूला

& दुधी मुये।

उपनाम

एकन्ना

4 - सावित्री

बाई डब्ल्यू/ओ

अज्ञात

5 - मनीला

डब्ल्यू/ओ

अज्ञात

6 - भीम

एस/ओ

अज्ञात

7 - जयराम

एस/ओ

अज्ञात

8 - समिता

डब्ल्यू/ओ

चंद्राना

9 - भास्कर

उपनाम

राजेश एस/ओ

वेंकटस्वे

आरएलयू

10 - कविता

डी/ओ जयराम

19. यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि पंजीकरण के बाद

ऊपर उल्लिखित एफ. आई. आर. में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई गिरफ्तारी के लिए नहीं आया। कोई उचित जांच नहीं की गई है। किसी भी चश्मदीद गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है। में। ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता यहां हिमांशु कुमार और अन्य बनाम के समक्ष हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

यह न्यायालय वर्तमान याचिका के साथ सी. बी. आई. के माध्यम से सभी एफ. आई. आर. की जांच में राहत की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता कथित अत्याचार और नरसंहार के लिए सरकार से मुआवजे की भी मांग करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थितिः

20. छत्तीसगढ़ राज्य ने जवाबी-हलफनामा विधिवत दाखिल करके रिट याचिका के ज्ञापन में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है।

श्री विमल कुमार बैस, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय-दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2010 के माध्यम से पुष्टि की गई। हलफनामा याचिका के ज्ञापन में याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित सभी घटनाओं से बारीकी से संबंधित है। हम उसी को नीचे उद्धृत करते हैंः

" 5. कि छत्तीसगढ़ राज्य खतरे का सामना कर रहा है

नक्सलवाद जिसे नंबर एक सुरक्षा कहा गया है माननीय द्वारा राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा

भारत के प्रधानमंत्री। राज्य पुलिस की मदद से

अर्धसैनिक बलों को नक्सलवाद से निपटना पड़ता है और अधिकांश

नक्सलवादी आंदोलनों से संबंधित संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने बहुमूल्य जीवन खो दिया है

राज्य की रक्षा करते हुए इसके कर्मियों की। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों द्वारा मारे जाने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या 300 के दायरे में होगी। अकेले दंतेवाड़ा जिले में ही पैंसठ पुलिसकर्मी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने पहले के हलफनामे में यह भी कहा है कि ये रिट याचिकाएं नक्सल समर्थकों द्वारा दायर की गई हैं। वास्तव में, छत्तीसगढ़ राज्य वास्तव में मानता है कि शिकायतों के पहाड़ दर्ज किए जाते हैं ताकि पुलिस कर्मियों को नक्सलवाद के खतरे से निपटने से रोका जा सके। पुलिस कर्मियों ने नक्सलवाद के खतरे का मुकाबला करते हुए अपनी जान गंवा दी है

गतिविधियाँ। पूरे पुलिस कर्मियों का काफिला था घात लगाकर हमला किया जिसमें एक एस. पी. की भी मौत हो गई।

पैरावाइस जवाबः

1. रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 1 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया है और नक्सलों द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया है

'नरसंहार' का अर्थ दिए जाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ने बाद के पैराग्राफ में माओवादियों के साथ हुई 17.09.09 और 01.10.09 की तीन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। 'नरसंहार' शब्द का उपयोग किया जा रहा है [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.09.2009 और 01.10.2009 पर घटनाओं की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किए बिना सरसरी तरीके से।

आरईः 17.09.09 [गचनपल्ली] की शुरुआतः

कोबरा बटालियन की एक टीम अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ लगभग 07 बजे गाँव गचनपल्ली के लिए रवाना हुईः 45 पीएम 16.09.2009 पर, जब पुलिस दल गाँव पहुँचा

गचनपल्ली और नक्सल शिविर की घेराबंदी कर दी और सुबह लगभग साढ़े पाँच बजे, नक्सलवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने

आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालाँकि युद्धविराम के बाद भी, 150-200 माओवादी घने जंगल में पीछे हटने में सक्षम थे। नक्सलों की वर्दी सहित कई हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। वर्तमान में, यह धारा 4 के तहत अपराध संख्या 09 के रूप में दर्ज है। 147 , 148 , 149 , 307 , गचनपल्ली के पी. एस. भेज्जी में आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम और

सी. आई. डी. द्वारा जाँच की जा रही है। आरईः 17.09.09 गाँव की शुरुआत-सिंगानपल्लीः

राकेश चौरसिया और श्री उदय कुमार यादव को गोली मार दी गई थी। इस प्रकार क्रॉस फायर में पुलिस कर्मियों की बहुमूल्य जान चली गई और गोलीबारी 08 तक जारी रहीः 00 18.09.2009 पर पीएम। पुलिस कर्मियों को और लागू करने की भी मांग की गई। पी. एस. चिंटागुफा द्वारा एक एफ. आई. आर. No.10/2009 भी दर्ज की गई थी। 20.09.2009 पर। बाद में नंदिनी सुंदर के मामले में एन. एच. आर. सी. की सिफारिशों के अनुसार आगे की जांच के लिए मामले को सी. आई. डी. को स्थानांतरित कर दिया गया। मडवी देव के एक मृत शरीर की पहचान की गई जो क्रॉस फायर के दौरान मर गया था।

नक्सलों और पुलिस के बीच।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एस. पी. कार्यालय को मदवी हिडमा पुत्र मदवी कोसा, कवासी कोसा की शिकायतें मिली हैं।

स्वर्गीय कवासी गंगा के पुत्र, मरकम चूला की पत्नी मदकम मुके, मदवी जोगा के पुत्र मदवी रजा, सभी हिमांशु कुमार से संबंधित हैं और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

गचनपल्ली। शिकायतों की प्रकृति संदेह से भरी होती है क्योंकि सभी शिकायतें एक ही प्रारूप में होती हैं और एक ही तरीके से टाइप की जाती हैं, जिससे संदेह पैदा होता है कि

नक्सलवादी या नक्सलवादी-उन्मुख के प्रति सहानुभूति रखने वाले संगठन

इस तरह की शिकायतें दर्ज कराने के पीछे संगठन हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है और उन शिकायतों की सत्यता संदिग्ध है क्योंकि वे निश्चित प्रारूप में हैं और उसी तरीके से टाइप की गई हैं। किसी भी तरह से, 10.12.2009 पर बयान दर्ज करने के लिए गचनपल्ली का दौरा भी किया गया था।

शिकायतकर्ता। लेकिन कोई शिकायतकर्ता नहीं मिला।

10.12.2009 क्योंकि नक्सलों ने शिकायतकर्ताओं को पुलिस के साथ सहयोग नहीं करने के लिए राजी किया। अब अतिरिक्त एस. पी. दंतेवाड़ा को जांच को तेजी से पूरा करने का काम सौंपा गया है।

आरईः 01.10.2009 [जी. ओ. एम. पी. ए. डी. आई. एन. सी. आई. डी.] की शुरुआतः

सुरक्षा बलों की एक टीम जिसमें कोबरा, स्थानीय पुलिस और एसपीओ शामिल थे, गोम्पड गांव के लिए 30.09.2009 पर रवाना हुई थी।

गाँव के पास एक नक्सल शिविर चलाए जाने की सूचना पर। जब पुलिस दल 06 बजे गाँव पहुँचने ही वाला थाः 30 01.10.2009 पर सुबह, यह माओवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। हमले को विफल कर दिया गया और जगह की तलाशी ली गई। पुलिस को कोई नहीं मिला। इसके बाद गांव में भी तलाशी ली गई लेकिन सभी भाग गए। एफ. आई. आर. No.05/09 दर्ज होने के बाद उपरोक्त घटना की जांच भेज्जी पी. एस. द्वारा की जा रही है।

आई. पी. सी. 148,149,307 और 25,27 शस्त्र अधिनियम के तहत। मामले की जांच सी. आई. डी. को सौंप दी गई है। एसपी कार्यालय को स्वर्गीय सोयम दुला के बेटे सोयम दुला, स्वर्गीय सोयम कन्ना के बेटे सोयम रामा, सोडी बद्रा की पत्नी श्रीमती सोडी साम्बो की शिकायतें मिलीं, जो सभी गोम्पड गांव से संबंधित थीं।

वे सभी अपने रिश्तेदारों की कथित हत्या के लिए सुरक्षा बलों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के इच्छुक हैं। इस तरीके से आगे की जांच करने का कारण यह है कि

शिकायतें कथित अपराध में बहुत देरी के बाद दर्ज की जाती हैं और दूसरी बात यह है कि सभी शिकायतें एक निश्चित प्रारूप में होती हैं और उसी तरीके से टाइप की जाती हैं जिससे संदेह पैदा होता है कि उन शिकायतों को नक्सलों द्वारा तैयार किया गया है।

जाँच को पटरी से उतारने के लिए संगठन।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जाँच के दौरान, S.D.O.P. कोंटा और उनकी टीम ने दौरा किया था।

कथित शिकायतकर्ता लेकिन वे शिकायतकर्ता लापता थे। छत्तीसगढ़ राज्य का दृढ़ विश्वास है

कि वे शिकायतकर्ता केवल माओवादियों के इशारे पर काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें माओवादियों का भी खतरा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने सोचा कि चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 शिकायतकर्ताओं के सक्रिय संपर्क में है और उसने इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का विकल्प भी चुना है, इसलिए यह सलाह दी जाएगी कि याचिकाकर्ता नंबर 1 स्वयं जांच में तेजी लाने के लिए सभी शिकायतकर्ताओं के साथ आगे आता है। हालाँकि जाँच में सहयोग करने के पुलिस के इस अनुरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है।

इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा टिप्पणी की गई।

धारा के तहत अपराध सं. 05/2009। 147 , 148 , 149 , 307 आई. पी. सी. और एस. 27/27 शस्त्र अधिनियम की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है

सुरक्षा बल जबकि अपराध सं. 01/2010 धारा के तहत। 396 , 397 जाँचक अनुसार एहि सम्बन्धमे आई. पी. सी. दर्ज कयल गेल अछि।

सोयाम रामा द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर। नंदिनी सुंदर के मामले में एनएचआरसी की सिफारिश के अनुसार अब सी. आई. डी. द्वारा मामले की जांच की जा रही है। 2. रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 2 की सामग्री का जोरदार खंडन किया जाता है। यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त दो घटनाओं 17.09.2009 और 01.10.2009 की एक घटना ने भी अनकही दुर्दशा और पुलिस को वंचित कर दिया है

कर्मियों और कई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। कथित नरसंहार के बारे में अनुच्छेद संख्या 2 की सामग्री है -

पूरी तरह से भ्रामक और मामले की सच्चाई मैट याचिकाकर्ता नंबर 1 है क्योंकि नक्सलवादी घटना ने ग्रामीणों को शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि एक महिला का स्तन काट दिया गया था और दो साल के शिशु की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी तरह इस बात से भी इनकार किया जाता है कि 70 साल के अंधे व्यक्ति को फांसी दी गई थी।

3. & 4. रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की सामग्री को तब तक अस्वीकार कर दिया जाता है जब तक कि वे 17.09.2009 और 01.10.2009 की घटनाओं से संबंधित हों। एन. एच. आर. सी. हिमांशु कुमार और अन्य बनाम के अनुसार 17.09.2009 और 01.10.2009 की घटनाओं से संबंधित एफ. आई. आर. पहले ही सी. आई. डी. को हस्तांतरित कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नंदिनी सुंदर के मामले में सिफारिशें। छत्तीसगढ़ राज्य एनएचआरसी की सिफारिशों का पालन करेगा

17.09.2009 और 01.10.2009 की घटनाओं के संबंध में और

मामले को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना पूरी तरह से अनुचित है। किसी भी मामले में, क्या कोई मामला सी. बी. आई. को हस्तांतरित किया जा सकता है या नहीं, इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

और फैसले का अभी भी इंतजार है। 5. रिट के अनुच्छेद संख्या 5 की सामग्री के जवाब में

याचिका में कहा गया है कि बीजापुर जिले में आई. डी. 2 और दंतेवाड़ा जिले में आई. डी. 1 की घटनाओं से संबंधित रिट याचिकाएं पहले से ही रिट याचिका संख्या के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। 211/2008 & 363/2009

क्रमशः। छत्तीसगढ़ का माननीय उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है और प्रतिवादी पहले ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों को पार कर चुका है।

6. रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर 6 की सामग्री को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर दिया जाता है।

7. रिट के अनुच्छेद संख्या 7 की सामग्री के जवाब में

याचिका, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 17.01.2009 की घटना पहले से ही पिछले पैराग्राफ में समझाई गई है और इसलिए यह

आगे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों को पूरी तरह से विकृत किया गया है और गलत तरीके से कहा गया है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मादवी देव वर्दीधारी नक्सलवादी था जिसका शव सिंगमपाली में 17.09.09 पर घटना के दौरान घटनास्थल से मिला था। मुचाकी देव के गर्म तेल में जलने के मामले के संबंध में, हालांकि पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। यह केवल तथ्य के 30.10.2009 दिनांकित एक प्रेस विज्ञप्ति में पाया जाता है।

पी. यू. सी. एल. (छत्तीसगढ़), पी. यू. डी. आर. (दिल्ली, वनवासी चेतना आश्रम (दंतेवाड़ा), मानवाधिकार विधि नेटवर्क (छत्तीसगढ़), एक्शन एड (उड़ीसा), मन्ना अधिकार की खोज टीम

(मलकानगिरी) और जिला आदिवासी एकता संघ (मलकानगिरी), कि मुचाकी देव को तथ्य खोजने वाली टीम के सदस्य भद्राचलम ले गए हैं। हालाँकि गर्म तेल में जलने का यह पूरा आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी साबित हुआ है जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख से स्पष्ट है जिसमें भद्राचलम के डॉक्टरों ने कहा है। इस तरह के जलने के मामले को देखने से इनकार किया। जहाँ तक कुछ व्यक्तियों को 'बांधने' और परेड करने का आरोप है [2022] 11 एस. सी. आर.

संबंधित, यह कहा जाता है कि जब सुरक्षा बल हमले को विफल करने के बाद गाँव गचनपल्ली पहुंचे, तो कोई नहीं मिला और हर कोई जंगल में भाग गया था। यह नक्सलवादी हैं जो आतंक फैला रहे हैं और राज्य पर दोष लगाया जाता है। यह दोहराया जाता है कि सभी प्रयासों की सराहना की जाती है नकसलवादी आंदोलन और नकसलवाद पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करना।

01.10.2009 की घटना को पिछले पैराग्राफ में विस्तार से समझाया गया है और तथ्यों में कहा गया है

जवाब के तहत अनुच्छेद पूरी तरह से विकृत और सच्चाई से बहुत दूर हैं।

8 गिरफ्तार और दो लापता होने के आरोप के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि पी. एस. कोंटा की 2009 की एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो नलकटोंग के जंगल में सुरक्षा बलों पर <आई. डी. 2 पर हुए हमले से संबंधित है। उपरोक्त घटना में, दो शव बरामद किए गए और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों शवों को पी. एस. कोंटा लाया गया और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ की गई और कानून के प्रावधानों के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनाई गई।

चिंतागुफा (सिगनपल्ली के अलावा दूसरी) में कथित हत्याओं की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य को इस रिट याचिका की प्राप्ति के बाद ही मिली और इसकी जांच की जा रही है।

असारगुडा गाँव के पांडा सोमा और गंगा की मान्यता पूरी तरह से गलत है। यह दोहराया जाता है कि दंतेवाड़ा के पुलिस रिकॉर्ड में असरगुडा गांव की गंगा नाम का कोई भी व्यक्ति एसपीओ नहीं रहा है। 06.05.2009 पर माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में पांडा सोमा की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति की भी मौत हुई है

8. रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 8 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाता है। कोई अतिरिक्त न्यायिक हत्या नहीं हुई है और वास्तव में कई पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है। द. याचिकाकर्ता संख्या 2 से 13 पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं कर सकते हैं लेकिन वे निश्चित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जमीनी स्तर पर भी न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र है और जांच की निगरानी करने की स्थिति में होगी।

प्रभावी तरीके से।

9. & ओआरएस। रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 9,11,12,13,14,15,17,18,19,20 और 21 की सामग्री के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत की जांच की जा रही है और कहानियाँ 'विश्वास करने' की प्रकृति में अधिक होती हैं। सच्ची घटना का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

याचिकाकर्ता संख्या 1 शिकायतकर्ताओं का विवरण प्रस्तुत करे या शिकायतकर्ताओं को स्वयं पेश करे ताकि आगे की जांच हो सके। हालाँकि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने आपत्ति जताई है, जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष दलीलों से स्पष्ट होगा। वास्तव में, पुलिस को याचिकाकर्ता संख्या 1 से कोई सहायता नहीं मिल रही है जो याचिकाकर्ता संख्या 2 से 13 के प्रतिनिधि होने का दावा करता है। 10. कुंजन हिडमा द्वारा दायर शिकायत के जवाब में, जैसा कि रिट याचिका के पैराग्राफ No.10 की सामग्री में उल्लेख किया गया है, एक जांच शुरू की गई थी और S.D.O.P कोंटा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यह कहा गया है कि जब वे 07.12.2009 पर गाँव बेलपोचा गए तो पुलिस कर्मियों को कोई नहीं मिला। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बेलपोचा गाँव पी. एस. कोंटा से केवल 14 कि. मी. दूर स्थित है लेकिन

शिकायतकर्ता ने पी. एस. कोंटा में मामले की सूचना नहीं दी।

यह अजीब बात है कि उनके बेटे कुंजम-हुर्रा की हत्या की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, भले ही गांव ढोंढरा पास में ही स्थित हो। धोंधरा के ग्राम प्रधान मरकाम कृष्ण, पूर्व सरपंच मरकाम सीताराम, पूनम नरैया से कथित घटना के बारे में पूछताछ की गई। उन्होंने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार कोई सबूत नहीं मिला और विवेकी जांच के बाद शिकायत झूठी पाई गई।

16. रिट याचिका के पैराग्राफ No.16 की सामग्री के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक जांच रिपोर्ट थी S.D.O.P, कोंटा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि S.D.O.P. कोंटा ने शिकायतकर्ता से गाँव नुल्कातोंग [2022] 11 एस. सी. आर. में संपर्क करने का प्रयास किया।

09.11.2009 पर लेकिन गाँव में कोई नहीं मिला। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अज्ञात नक्सलों के दो शवों को पी. एस. कोंटा लाया गया था और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा एक जांच भी तैयार की गई थी। लगभग तीन दिनों से कोई भी शवों की पहचान के लिए नहीं आया था। पी. एस. कोंटा में आई. पी. सी. के तहत आई. पी. सी. के तहत आई. पी. सी. के तहत

राज्य की स्थिति

छत्तीसगढ़ और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नंदनी सुंदर का मामला। यह कानून का भी तय प्रस्ताव है। कि एक ही घटना के संबंध में एक से अधिक एफ. आई. आर. नहीं हो सकती है और एक बार एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, उसी घटना के बारे में बाद की शिकायतों को दंड प्रक्रिया संहिता के Sec.161 के तहत बयान कहा जाएगा। अगर उसी घटना के बारे में दूसरी एफ़. आई. आर. भी दर्ज की जाती है, तो भी इसकी समग्र जाँच पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

मामला। छत्तीसगढ़ राज्य शिकायतों से अवगत है और यहां तक कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को शिकायतकर्ताओं के साथ आगे आने के लिए कहा है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें और जांच विधिवत पूरी की जा सके। राज्य का

छत्तीसगढ़ दोहराता है कि यदि शिकायतकर्ता या

पुलिस द्वारा अब तक दर्ज की गई प्राथमिकियां। 28.4 रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 28.4 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि जांच उचित तरीके से की जाती है और जांच में कोई स्पष्ट अनियमितता या चूक नहीं है जो सी. बी. आई. द्वारा जांच की आवश्यकता होगी। किसी भी मामले में, क्या जांच की जा सकती है

माननीय न्यायालय के निर्देश पर सी. बी. आई. लंबित है

संविधान पीठ के समक्ष विचार।

28.5 रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 28.5 की सामग्री का जोरदार खंडन किया जाता है। पुलिस ने विधिवत एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया है और जांच एन. एच. आर. सी. के अनुसार की जाती है।

नंदिनी सुंदर के मामले में सिफारिशें। यह नक्सलों ने ही पुलिसकर्मियों के ठिकानों पर हमला किया है और यह आरोप इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए 'नरसंहार' का आह्वान किया गया है।

28.6 रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 28.6 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया है। शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता संख्या 1 के संपर्क में हैं और छत्तीसगढ़ राज्य दोहराता है कि यदि

शिकायतकर्ता आगे आते हैं तो उनके बयान होंगे

तदनुसार अभिलिखित और जाँच की जाएगी।

हालाँकि शिकायतकर्ताओं ने गलत काम किया है। आम तौर पर एक घटना के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है और बाद की शिकायतों को दंड प्रक्रिया संहिता के Sec.161 के तहत बयान के रूप में दर्ज किया जाता है और तदनुसार जांच की जाती है।

भले ही एक औपचारिक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हो, शिकायतकर्ता [2022] 11 एस. सी. आर.

और कुछ याचिकाकर्ताओं को आगे आना होगा

28.7 रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 28.7 की सामग्री अस्पष्ट है और इसलिए अस्वीकार कर दी गई है। 28.8 रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 28.8 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 'नरसंहार' शब्द गलत है। राज्य ने अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन नहीं किया है।

भारत के संविधान "।

21. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि एक हलफनामे में जवाब दिया गया है

दायर किया गया, याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत पुष्टि की गई नं। 1 , छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उपरोक्त उत्तर। प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता नं। 1 एन. सी. ई. ने फिर से दोहराया कि याचिका में क्या कहा गया है।

कोबरा 201 युद्धः

22. एन. डी. ए. एन. डी. ए. एन. डी. ए

नक्सलवादी बंदूक कारखाने का पता लगाने का समय

सिंघनमडुगु। उनके पार्थिव शरीर को बाद में पी. एस. चिंटागुफा जिला लाया गया। पोस्टमॉर्टम के लिए दंतेवाड़ा और आगे हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कानूनी कार्रवाई। एफ. आई. आर. सं. 10/2009 दिनांक 20/9/2009 आई. पी. सी. की धारा 307,395,397, शस्त्र अधिनियम की धारा <आई. डी. 1 और आई. पी. सी. की धारा 3,4

घटना के बारे में पी. एस. चिंटागुफा (दंतेवाड़ा) में विस्फोटक अधिनियम भी दर्ज किया गया था। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि उक्त व्यक्ति सिंघानपल्ली गाँव की मादवी देव थीं।

तब वह निश्चित रूप से एक नक्सलवादी था और एक निर्दोष नागरिक नहीं था। यहाँ आगे यह उल्लेख किया गया है कि इस दौरान

सिंघनमडुगु, जहाँ कोबरा/एसएएफ के 06 बहादुर कमांडो ने अपने बहुमूल्य जीवन और उन शहीदों के शरीर को खो दिया है। केवल 19/09/09 सुबह को बरामद किया गया। कोबरा/एसएएफ के सैनिकों के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो लगभग डेढ़ घंटे तक चला।

(3) गर्म तेल में जलने के बारे में: कोबरा बटालियन/सी. आर. पी. एफ. के सैनिकों ने गांव में कोई अभियान नहीं चलाया था। ओन्धेरपारा ने न तो आरोप के अनुसार कोई कार्य किया। इसलिए, इस बल के खिलाफ आरोप पूरी तरह से गलत और तुच्छ है।

(4) बांधने और परेड करने के बारे में: बल के कर्मियों के खिलाफ आरोप पूरी तरह से गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं था अभियान के दौरान पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया।

(5) बल विस्थापन और आतंक के बारे में: निर्दोष लोगों की हत्या और यातना की अक्सर खबरें आती रहती हैं।

माओवादी विचारधारा के नाम पर जनता को आतंकित करने के लिए माओवादी कैडर और खुफिया स्रोतों द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा बल की वर्दी में नक्सलवादी देखे जाते हैं। इसलिए, आदिवासियों को उनके नक्सल आंदोलन का समर्थन करने और उसमें शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए खुद आदिवासियों को आतंकित करने के इन कृत्यों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह नक्सलों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। सुरक्षा बल अपने मजबूत क्षेत्रों में उनके खिलाफ चल रहे अभियानों को रोकने और खतरे में डालने के इरादे से।

(6) गोम्पडा 'मुठभेड़' दिनांक 1/10/09 के बारे में: उपस्थिति के संबंध में स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर

एस. ए. एफ. 201 बी. एन. के दल को शामिल करते हुए दिनांक 30/09/09 पर पीएस भेजी के अधिकार क्षेत्र के तहत गोम्पड गांव में विशेष संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई थी। , सिविल पुलिस और एसपीओ। पार्टी को घेराबंदी और तलाशी [2022] 11 एस. सी. आर. करने का काम दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोम्पड गाँव में। सैनिकों के पास मैन पैक (सैनिकों की विभिन्न वस्तुओं वाला थैला) और अन्य सभी रसद और प्रशासनिक सहायता सामग्री थी जो 3 दिनों के लिए पर्याप्त थी।

अवधि। तदनुसार, कोबरा/एसएएफ सैनिकों में एसी-02, एसओएस-04, अन्य रैंक-66, एचसी/आरओ-02 शामिल हैं, जो सहायक श्री रवींद्र सिंह शेखावत की कमान में हैं। कॉमडेट। एक के साथ सिविल पुलिस के ए. एस. आई., सिविल पुलिस के 08 सिपाही और 21 एस. पी. ओ. एस. पी. एस. भेजी के आधार शिविर से 30/09/09 पर रवाना हुए। जब कोबरा/एसएएफ के सैनिक गोम्पड गाँव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे

लगभग 20 मिनट बाद माओवादी घात लगाकर भाग गए। साइट। जब माओवादी भाग रहे थे तो उन्हें अपने घायल सहयोगियों को ले जाते देखा गया। नकसलियों के भागने के बाद

हमारे सैनिकों और हाथों द्वारा क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी ली गई

ग्रेनेड-02, टिफिन बम-01, सोलर पैनल-01,762 x 51 मिमी की गाड़ियों-03, डिटोनेटर-02, कैप-01 को घात स्थल से बरामद किया गया, जिन्हें नकसलियों ने जल्दबाजी में छोड़ दिया था।

घटनास्थल से भाग रहे हैं। सैनिक आगे बढ़े और गाँव गोम्पड़ की तलाशी ली जहाँ कोई ग्रामीण नहीं मिला। फिर हमारे सैनिक

वापस लौट आए। हालांकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि कड़ी कार्रवाई के कारण

संयुक्त रूप से कोबरा/एसएएफ बीएन द्वारा नक्सलों के खिलाफ आंतरिक नक्सल प्रभावित और प्रमुख गाँवों में 16/09/09 के बाद से ऑपरेशन हथियारों को नष्ट कर रहा है और उनका पता लगा रहा है

नकसलियों की फैक्ट्री, नकसलवादी जमीन खो चुके हैं और चकित हैं। और कोबरा/एसएएफ बीएन की यह मजबूत कार्रवाई इसकी बहुत सराहना की गई और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने माओवादियों के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस और एस. ए. एफ. 201 के खिलाफ झूठा आरोप लगाया है।

अच्छी तरह से सोचा-समझा करके नक्सलों के खिलाफ अभियान चलाया गया नापाक डिजाइन।

(7) अधिक हत्याओं के बारे में: न तो हमारे बल ने 01/10/2009 पर चिंटागुफा में कोई अभियान चलाया और न ही मारे गए और न ही मारे गए

किसी भी निर्दोष नागरिक को घायल किया। आरोप झूठा है। इसलिए, आरोपों का जोरदार खंडन किया जाता है। (8) 2 साल की उम्र के कष्टों के बारे में: हिमांशु कुमार और अन्य बनाम के दौरान बल कर्मियों द्वारा किसी भी नागरिक या बच्चे को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचाया गया/प्रताड़ित नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संचालन। कोबरा/एसएएफ बल के खिलाफ आरोप पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है। इसलिए इसका जोरदार खंडन किया गया।

(9) 8 गिरफ्तार और 2 लापता होने के बारे में: इस 201 कोबरा/एसएएफ इकाई के बल को न तो परिचालन कर्तव्य के लिए तैनात किया गया था

मुकुंदतोंग और जुनिटोंग गाँवों में न ही उन्होंने आरोप में उल्लिखित ऐसा कोई कार्य किया है। इसलिए इसका जोरदार खंडन किया गया।

(10) संपत्ति और घरों को लूटने और जलाने के बारे में: 201 कोबरा (एसएएफ) बटालियन के बल कर्मी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी घर से न तो कोई संपत्ति/पैसा लूटा और न ही चुराया गया। बल्कि जब बल के कर्मियों ने अपने स्थान पर अभियान चलाया तो माओवादियों ने अपने स्वयं के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और गुप्त ठिकानों को जला दिया। बल के कर्मियों के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत और पूरी तरह से झूठे हैं।

पर्याप्त राशन और उनके लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं को ले जाना

ऑपरेशन के दौरान व्यक्तिगत उपयोग। (11) उत्पीड़न और यातना के बारे में: 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन द्वारा अभियान के दौरान किसी भी नागरिक को परेशान या प्रताड़ित नहीं किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसलिए, बल के कर्मियों के खिलाफ यह आरोप गलत है और इससे इनकार किया जाता है।

(12) एस. पी. ओ. और सलवा जुडूम नेता की उपस्थिति के बारे में सुरक्षा बलों के साथ: 201 कोबरा (एसएएफ) के कर्मियों ने मुकुड्टोंग गांव में अभियान नहीं चलाया और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उनके साथ चल रहे सलवा जुडूम नेता का सवाल। हालांकि, कोबरा कर्मियों ने सिविल पुलिस और एसपीओ के साथ 1/10/09 पर गोमापाड़ा गांव में अभियान चलाया।

(13) जबरन विस्थापन और आतंक के बारे में: कोई घर नहीं है। बल के कर्मियों द्वारा क्षतिग्रस्त/जला दिए गए थे और ग्रामीणों का जबरन विस्थापन नहीं किया गया था। इसलिए, बल के कर्मियों के खिलाफ यह आरोप पूरी तरह से गलत है और इसका खंडन किया जाता है।

8. पैरा-8 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएएफ 201 कर्मियों द्वारा किसी भी नागरिक की हत्या या यातना नहीं दी गई थी और इस बल के खिलाफ सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। यह अर्धसैनिक बल का कर्तव्य है कि वह लोगों की सहायता के लिए कदम उठाए और उन्हें परेशान न करे या मानवाधिकारों के लिए अपमानजनक कोई गतिविधि न करे। वास्तव में, बल [2022] 11 एस. सी. आर. के जीवन के जोखिम पर काम कर रहा है।

उनके कर्मचारी जीवन और संपत्ति की रक्षा में लगे हुए हैं नागरिकों को।

9. पैरा 9 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप गलत है, इसलिए इनकार किया जाता है। वास्तव में इस गाँव गोम्पड़ के पास सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया और गोलीबारी के बाद सैनिकों ने

जब्त किए गए हथगोला-02, टिफिन बम-1, बूबी ट्रैप-1 सोलर पैनल-1,7.62x51 mm कार्ट-3, डेटोनेटर-02, कैप-1 के फायर किए गए मामले।

11. पैरा 11 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस इकाई के कर्मियों द्वारा कोई भी नागरिक न तो पकड़ा गया और न ही मारा गया। पैसा हमेशा लूटा जाता था। हालाँकि, 17/09/2009 पर गचनपल्ली में हमारे सैनिकों पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया और सैनिकों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। यह आरोप 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन के खिलाफ है। यह गलत और आधारहीन है और इसलिए इनकार किया जाता है।

12. पैरा 12 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप गलत है क्योंकि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। और इसलिए इनकार कर दिया।

13. पैरा 13 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं क्योंकि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। और इसलिए इनकार कर दिया।

बल कर्मी। किसी भी संपत्ति को लूटा या जलाया नहीं गया। हालाँकि, लगाए गए आरोपों की अस्पष्टता या सच्चाई याचिका की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पैरा में दिए गए याचिकाकर्ता का नाम और संख्या रिट याचिका के कारण शीर्षक में याचिकाकर्ताओं की सूची से मेल नहीं खाती है।

15. पैरा 15 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप पूरी तरह से गलत है क्योंकि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। हालांकि, पैरा में दिए गए याचिकाकर्ता का नाम और संख्या रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की सूची से मेल नहीं खाती है।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

16. पैरा 16 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन का बल। गाँव में कोई ऑपरेशन नहीं किया

1/10/09 पर नुल्काटोंग। इसलिए, इस इकाई के खिलाफ आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है। हालांकि, पैरा में दिए गए याचिकाकर्ता का नाम और संख्या रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की सूची से मेल नहीं खाती है।

17. पैरा 17 के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन। कर्मियों ने ग्रामीणों को नहीं मारा और न ही उनके घरों को जलाया। हालाँकि, 17/9/09 201 कोबरा (SAF) Bn पर। कर्मियों ने गाँव गचनपल्ली में अभियान चलाया जिसके दौरान हमारे

भारी हथियारों से लैस माओवादियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला किया और सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

18. पैरा 18 के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन। कर्मियों ने ग्रामीणों को नहीं मारा और न ही उनके घरों को जलाया। हालाँकि, 17/9/09 201 कोबरा (SAF) Bn पर। कर्मियों ने गाँव गचनपल्ली में अभियान चलाया जिसके दौरान हमारे

भारी हथियारों से लैस माओवादियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला किया और सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

19. पैरा 19 के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 201 कोबरा (एसएएफ) बीएन। कर्मियों ने ग्रामीणों को नहीं मारा और न ही उनके घरों को जलाया। हालाँकि, 17/9/09 201 कोबरा (SAF) Bn पर। कर्मियों ने गाँव गचनपल्ली में अभियान चलाया जिसके दौरान हमारे

भारी हथियारों से लैस माओवादियों ने जवानों पर घात लगाकर हमला किया और सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। 20. पैरा 20 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप गलत है और अस्वीकार किया गया है। हालाँकि 201 कोबरा (SAF) ने गोम्पडा गाँव में 1/10/09 पर अभियान चलाया था, लेकिन SAF कर्मियों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था।

21. पैरा 21 के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि एक नक्सलवादी

काला नक्सलक वर्दी पहिरने आ थूथन भरबाक बंदूक लऽ जयबला ओ 17/09/09 पर सिंघनमडुगुमे नक्सलक बंदूक कारखानाक पता लगबाक समय एहि टुकड़ीक कर्मी सभक सङ्ग मुठभेड़मे मारल गेल छल। उसके शव को बाद में पीएस चिंटागुफा लाया गया और पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई के लिए। उक्त आतंकवादी की तस्वीर की एक प्रति अनुलग्नक आर 12 में रखी गई है। इसमें

कनेक्शन एफ. आई. आर. सं. 10/2009 दिनांक 20/9/2009 भी दर्ज किया गया था [2022] 11 एस. सी. आर.

24. पैरा 24 के जवाब में कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। 25. पैरा 25 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीएफ किसी भी घटना में शामिल नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है और इसलिए इनकार किया गया है।

26. पैरा 26 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह बिंदु सीआरपीएफ/एसएएफ इकाई से संबंधित नहीं है। इसलिए इस आरोप का खंडन किया जाता है। 27. पैरा 27 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह बिंदु इस सीआरपीएफ/एसएएफ इकाई से संबंधित नहीं है। अतः आरोप यह है कि

मना कर दिया। मैदानों पर जवाब दें:

28. 28. 1 : पैरा 28.1 के उत्तर में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाए गए आधार झूठे और मनगढ़ंत हैं क्योंकि रिट याचिका में उल्लिखित कोई भी कार्य इस एसएएफ/सीआरपीएफ इकाई के सैनिकों द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि, संघ का एक विशेष सशस्त्र बल होने के नाते, सैनिकों को देश के कानून को लागू करने और आम लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। माओवादी विचारधारा के नाम पर जनता को आतंकित करने के लिए सुरक्षा बलों की वर्दी पहने हुए माओवादी कैडरों द्वारा नागरिकों की हत्याओं और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की अक्सर खबरें आती रहती हैं और वे सुरक्षा बलों को बदनाम करने और अपने मजबूत कब्जे वाले क्षेत्रों में अभियानों को रोकने और पटरी से उतारने के इरादे से उनका मनोबल गिराने के लिए इस तरह के कृत्यों में शामिल हो सकते हैं।

28.2 : पैरा 28.2 के उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। 28.3 28. 9 तकः पैरा 28.3 के जवाब में कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

28. 9 हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

प्रार्थनाः क) याचिकाकर्ता का सी. बी. आई. जांच के लिए अनुरोध प्रतीत होता है

आपराधिक जाँच में देरी करने का इरादा पहले से ही राज्य पुलिस द्वारा माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसलिए,

प्रार्थना मनोरंजन के योग्य नहीं है। ख) यह अत्यंत सम्मानपूर्वक और विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि

याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार और/या मंजूरी देना ऐसे नकसलवादी को मुआवजे का पुरस्कार जो नकसलवादी वर्दी में था और साथ ही जिसके पास थूथन से भरी बंदूक थी,

201 सिंगनमडुगु गाँव में कोबरा/एसएएफ बीएन पूरी तरह से है।

गलत और यह प्रामाणिक रूप से माना जाता है कि सरकार। कोष अर्थात कर दाताओं की मेहनत की कमाई उन लोगों को मुआवजा देने के लिए खर्च करने के योग्य नहीं है जिन्होंने विद्रोही नक्सल कृत्यों का हिस्सा होते हुए जान गंवाई है जो बदले में मनोबल गिराते हैं।

नक्सालियों से लड़ने वाले बल जिनका कर्तव्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और अखंडता की रक्षा करना है और देश की सुरक्षा। इसलिए याचिकाकर्ताओं की यह याचिका भी खारिज की जानी चाहिए। इसलिए, रिट याचिका को याचिकाकर्ताओं पर भारी लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

आग्रह किया गया और आरोप लगाया गया कि यह निराधार, झूठा और अस्थिर है

आरोप लगाएँ "।

23. हम प्रत्यर्थी संख्या के एफ पर दायर एक और हलफनामे-इन-जवाब पर भी ध्यान देते हैं। 3 , श्री बरुण कुमार साहू, टॉर (कार्मिक), पुलिस-द्वितीय प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत पुष्टि की गई। हम.

उसमें किए गए कथन निम्नानुसार हैं:

" 2. मैं कहता हूं कि मैंने सामग्री को पढ़ा और समझा है।

द्वारा दायर किए गए 22.04.2010 दिनांकित शपथ पत्र में उल्लिखित

याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता ने नंबर 9 श्रीमती के अस्तित्व को साबित करने के लिए जवाब के तहत हलफनामा दायर किया है। मदावी हुर्रे रिट याचिका क्योंकि उसे याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सका। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने तहलका पत्रिका के पृष्ठों की कई प्रतियां दायर की हैं, जिसके आधार पर वह इसके अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहा है।

विचाराधीन याचिकाकर्ता। पत्रिका या समाचार पत्र किसी भी सामग्री या तथ्य का प्राथमिक प्रमाण या प्रामाणिक प्रमाण नहीं है और इसका कोई विशेष साक्ष्य मूल्य नहीं है। इसलिए, तहलका पत्रिका के पृष्ठों की प्रतियों का उत्पादन [2022] 11 एस. सी. आर. है।

अस्वीकार्य और उसी का विरोध किया जाता है। साथ ही याचिकाकर्ता नं। 1 शुरू से ही सुरक्षा बलों को दोष देने की कोशिश कर रहा है, नक्सलों के साथ लड़ रहा है, अत्याचारों/हथियारों के काल्पनिक आरोप के साथ जो वे साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक चलने की कोशिश कर रहे हैं।

मामले में किसी भी प्रासंगिकता के बिना विभिन्न विविध आवेदनों को दायर करके मुकदमेबाजी। जिस तरह से समय-समय पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं सुरक्षा बल रिकॉर्ड का विषय है। पूरा प्रयास सुरक्षा बलों की छवि को धूमिल करके और उनके आत्मविश्वास को हिलाकर उनका मनोबल गिराना है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि तहलका पत्रिका की प्रामाणिकता, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहा है, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें उल्लिखित तिथियां हैं।

पत्रिकाएँ सही नहीं हैं। पैरावाइस जवाबः

1. पैरा 1 की विषय-वस्तु पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

2 पैरा 2 की सामग्री के जवाब में कहा गया है कि मदवी हुर्रे का नाम केवल याचिकाकर्ताओं की सूची में उल्लिखित है।

और रिट याचिका में कोई उल्लेख नहीं है कि उसे सुरक्षा बलों के हाथों कोई नुकसान या चोट लगी है। रिट याचिका में यह उल्लेख नहीं है कि वह माधवी देव की पत्नी हैं। याचिकाकर्ता ने वकालतनामा पर अपने अंगूठे के निशान के आधार पर अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की है लेकिन

दस्तावेज़ को अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अतः इस तथ्य को प्रमाणित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता पेश करने में विफल रहा है

अदालत में गवाह। यदि वह उपलब्ध है, तो माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मदवी हुर्रे की 20.10.2009 पर दिल्ली की यात्रा का तथ्य बिल्कुल भी साबित नहीं होता है। दूसरी ओर यह भी विनम्रता से कहा गया है कि पेश किए गए सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने दोष नहीं दिया है

सी. आर. पी. एफ./सी. ओ. बी. आर. ए. (एस. ए. एफ.) किसी भी हत्या/अत्याचार का, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा सं। 1 रिट याचिका में।

3. पैरा 3 से 8 तक की सामग्री के जवाब में, मैं कहता हूं कि तहलका पत्रिका (7 नवंबर, 2009 को पी/37 पर) ने एक महिला की तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें वह गोद में एक बच्चे के साथ है। पत्रिका में उन्हें गाँव सिंगनमाडगु की निवासी बताया गया है जबकि उन्हें गाँव की निवासी के रूप में दिखाया गया हैः

गंचापल्ली अब हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वह गाँव सिंगनपल्ली/सिंगनमडगु की निवासी है। गाँवों के नाम में विरोधाभास स्पष्ट है और इसलिए अविश्वसनीय है। पत्रिका ने इस रिपोर्ट में कहा है कि यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी, जो गलत है और पत्रिका ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना इसे प्रकाशित किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का मुख्य इरादा सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ/कोबरा (एसएएफ) की छवि को खराब करना है जो नक्सल विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। संचालन, यह भी उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता ने केवल उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है जो उनके अनुसार महिला से मिले और उनका साक्षात्कार लिया लेकिन फिर भी

यह साबित नहीं कर सका कि उसने रिट याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

4. पैरा 9 की सामग्री के जवाब में, मैं कहता हूं कि लगभग सभी आवेदनों/हलफनामों में, याचिकाकर्ता नं। 1 ऐसा प्रतीत होता है कि पी. यू. सी. एल. के श्री पुष्कर राज विभिन्न कारणों से दलाली की मांग कर रहे हैं या कभी-कभी ऐसा किया जाता है जिससे पता चलता है कि अन्य याचिकाकर्ताओं यानी 2 से 13 को

इसके साथ अनुलग्नक-ए/1 के रूप में संलग्न है। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि 06.04.2010 पर, एक घटना में, माओवादियों ने सीआरपीएफ के 75 कर्मियों को मार डाला है। सी. आर. पी. एफ. के 75 जवान और एक सिविल पुलिस कर्मी की मौत

6/4/2010 पर छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खतरे को स्पष्ट रूप से इंगित करता है और सैनिक अखंडता और वास्तव में राज्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए नक्सलवाद से लड़ने में लगे हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली। अब याचिकाकर्ता ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों जैसे एन. डी. टी. वी. इंडिया को अपने विभिन्न चर्चा मंचों के माध्यम से अपने साक्षात्कारों के साथ सीआरपीएफ/कोबरा (एस. ए. एफ.) की छवि को खराब करने की कोशिश की है, जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए, याचिकाकर्ता ने स्वयं इस मामले में न्यायाधीश की भूमिका निभाई थी, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता नं. 1 मामले में।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. अब हम श्री द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए शपथ पत्र पर गौर कर सकते हैं।

श्री कुकरेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालयईवाड़ा, छत्तीसगढ़। इस शपथ पत्र में मृतक के परिवार के सदस्यों को दिए गए मुआवजे के संबंध में जानकारी दी गई है।

सुसज्जित। हम उसी को नीचे उद्धृत करते हैंः

" 3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 23.04.2010 दिनांकित शपथ पत्र में

याचिकाकर्ता ने कहा है कि माधवी हुर्रे निवासी हैं

सिंगनपल्ली/सिंगनमडगु जो रिट याचिका में उल्लिखित गाँव (गचनपल्ली) के नाम से अलग है। इसी हलफनामे में याचिकाकर्ता ने स्वर्गीय माधवी का उल्लेख किया है

देवा याचिकाकर्ता नं. 9 . यह रिट याचिका में उल्लिखित पति के नाम से अलग है जो

माधवी हुर्रा हैं।

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे की जांच के संबंध में

याचिकाकर्ता नं. 9 उसने खुलासा किया है कि गाँव सिंगनपल्ली/सिंगनमडगु में माधवी हुर्रे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कोंटा अनुमंडल के तहसीलदार ने भी इसकी पुष्टि की है। तहसीलदार कोंटा द्वारा जारी रिपोर्ट और प्रमाण पत्र की एक प्रति,

बुरकलांका ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव और ग्राम पंचायत पेंटापर के सचिव को सामूहिक रूप से संलग्न किया गया है और जैसा कि अनुलग्नक आर-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो

गाँव गचनपल्ली और सिंगनमडगु की मतदाता सूची के अनुसार। गाँव गंचापल्ली और सिंगनमाडगु की मतदाता सूची की एक प्रति सामूहिक रूप से इसके साथ संलग्न है और इसे इस प्रकार चिह्नित किया गया है -

अनुलग्नक आर-2

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आगे की जांच और

पूछताछ से पता चला है कि याचिकाकर्ता संख्या 6 माधवी पोज्जा है।

अभी भी आंध्र प्रदेश में है। 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं. को भुगतान करने के लिए रु. 4,00,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। 2 सोयाम रामा वीडियो

दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने आदेश सं। 752 दिनांकित 4.03.2010 के रूप में

उसके परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु के लिए मुआवजा।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं. को भुगतान करने के लिए रु. 1,00,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। 4 माधवी पोडिया के बेटे माधवी हिडमा ने कलेक्टर दंतेवाड़ा के आदेश नं. 756 दिनांकित 4.03.2010 अपने चचेरे भाई की मृत्यु के मुआवजे के रूप में

अपने परिवार के भाई।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 11.03.2010 पर दर्ज 164 बयान में, याचिकाकर्ता नं। 5 (माधवी सुकड़ा) ने कहा है कि उनके बेटे की तीन साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि रिट याचिका के साथ दायर शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनकी

बेटे को 17.09.2009 पर मार दिया गया था। चूंकि दोनों बयान अलग-अलग हैं इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए आगे की जांच की जा रही है। ऊपर बताए गए कारणों से याचिकाकर्ता नं. 5 .

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि रु। याचिकाकर्ता नं. के परिवार के सदस्य (दुधी भीम) को एक लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई है। 6 कलेक्टर दंतेवाड़ा के आदेश सं। 756 दिनांकित

4.03.2010 अपने परिवार के चचेरे भाई की मृत्यु के मुआवजे के लिए।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि रु। याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई है। 7 कलेक्टर दंतेवाड़ा के आदेश सं। 752 उनके परिवार के दो सदस्यों की मृत्यु के मुआवजे के रूप में 4.03.2010 दिनांकित।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। 3 & 8 चूंकि जांच की जा रही है।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं. को भुगतान करने के लिए रु. 1,00,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। 10 (मदवी राजा) कलेक्टर दंतेवाड़ा आदेश No.756 दिनांक 04.03.2010 के माध्यम से। 13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए रु. 1,00,000/- की राशि स्वीकृत की गई है। मडकम मुके कलेक्टर के माध्यम से-दंतेवाड़ा आदेश No.756 दिनांकित

04.03.2010 .

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलेक्टर-दंतेवाड़ा आदेश No.756 दिनांक 04.03.2010 के माध्यम से याचिकाकर्ता No.12 श्री कोवासी कोसा को भुगतान करने के लिए रु. 1,00,000/- की राशि स्वीकृत की गई है।

15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि Rs.10,000/- का योग किया गया है

याचिकाकर्ता को मंजूरी No.13-श्रीमती. कलेक्टर के माध्यम से चोट लगने के लिए सोडी साम्बो-दंतेवाड़ा आदेश No.889

दिनांकित 11.03.2010।

16. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पंजीकृत मामलों में आगे की जांच राज्य सी. आई. डी. द्वारा की जा रही है। "[2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं की स्थिति का सारांशः

25. इस प्रकार, यदि हमें प्रत्यर्थियों के रुख का सारांश देना है, तो वही है जो रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा रखा गया पूरा मामला है। 17 सितंबर 2009 और 1 अक्टूबर 2009 की घटनाओं को क्रमशः विभिन्न पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों द्वारा एक क्रूर नरसंहार के रूप में चित्रित करना स्पष्ट रूप से गलत है। याचिका के ज्ञापन में किए गए सभी कथन स्पष्ट रूप से झूठे और मनगढ़ंत हैं। अ.

इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर घटनाओं के आख्यान को बदलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठे आरोप लगाए गए हैं, यानी खूंखार वामपंथी चरमपंथियों (नक्सलों) को चित्रित करने के लिए, जो देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल रहे थे, क्योंकि निर्दोष आदिवासी पीड़ितों का सुरक्षा बलों द्वारा नरसंहार किया जा रहा था।

26. यह उत्तरदाताओं का मामला है कि सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के नरसंहार का यह झूठा आख्यान बनाया गया था

किसी तरह संबंधित सशस्त्र वामपंथी चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की प्रगति की तत्काल समाप्ति प्राप्त करें। वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य और उद्देश्य भी पटरी से उतरना था

वामपंथ को बेअसर करने के लिए सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयास

चरमपंथी आंदोलन और सशस्त्र वामपंथी चरमपंथी; सुरक्षा बलों की गरिमा और विश्वसनीयता से वंचित करने के लिए; सुरक्षा एजेंसियों को राक्षसों और राष्ट्रीय खलनायक के रूप में चित्रित करके उनका मनोबल कम करने के लिए, अर्थात। निर्दोष जनजातीय लोगों के हत्यारे; और उन पर झूठे मामले थोपना ताकि भविष्य में ऐसे झूठे मामले निवारक के रूप में काम करें। संक्षेप में, प्रत्यर्थी का मामला यह है कि पूरी रिट याचिका और कुछ नहीं बल्कि अदालत के साथ की गई धोखाधड़ी है।

27. सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों की पूरी तरह से जांच की गई और विभिन्न मामलों के लिए संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) और अन्य अधिनियमों के तहत अपराध। आरोप पत्र में नामित सभी अभियुक्तों को फरार दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं की गई है। आरोप पत्र दाखिल करना उसमें नामित अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है। इसमें नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र इस तथ्य की स्पष्ट गवाही देते हैं कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे और लापरवाह हैं।

28. याचिकाकर्ता यह इंगित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि क्या

जिस तरह से की गई जाँच को कार्यहीन कहा जा सकता है। आरोप पत्रों का अध्ययन किए बिना भी उनकी ओर से यह कैसे कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों ने कुछ नहीं किया है। यहां तक कि आगे की जांच के लिए मामला बनाने के उद्देश्य से, आरोप पत्रों में खामियों को अदालत की संतुष्टि के लिए इंगित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय को इस तरह का कुछ भी नहीं बताया गया है।

स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ

द द

राइट

याचिकाकर्ताओंः

29. Mr.Colin गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि आदिवासियों की हत्या की कथित क्रूर घटनाओं की जांच सी. बी. आई. के माध्यम से की जानी चाहिए। वह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) द्वारा सलवा जुडूम (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित सतर्क लोगों का समूह) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जिसमें सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन शामिल हैं, के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्रमशः 17 सितंबर 2009 और 1 अक्टूबर 2009 को दो अलग-अलग हमलों में मार दिया गया था।

30. Mr.Gonsalves प्रस्तुत करेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य

और छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी तक इस तथ्य के बावजूद कुछ नहीं किया है कि चश्मदीद गवाहों ने कुछ मामलों में आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है। मामलों में। उन्होंने कहा कि उनका बयान दर्ज करने के उद्देश्य से अभी तक एक भी चश्मदीद गवाह को नहीं बुलाया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि एकमात्र उम्मीद सी. बी. आई. है।

31. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, Mr.Gonsalves प्रार्थना करता है

कि यह न्यायालय ऊपर निर्दिष्ट सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों की जाँच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश देते हुए एक आदेश जारी कर सकता है।

स्वयं जवाबदेहों के बारे में सुझावः

32. Mr.Tushar मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

दूसरी ओर, भारत संघ ने वर्तमान याचिका का जोरदार विरोध किया है। वह प्रस्तुत करेंगे कि याचिका को न केवल अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को अपराध के झूठे आरोप लगाने और गलत और गलत जानकारी देने का दोषी ठहराया जाना चाहिए। वास्तविक अपराधियों की जांच करने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों के कर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से इस न्यायालय के समक्ष मनगढ़ंत साक्ष्य।

वामपंथी (नक्सल) आतंकवाद।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. Mr.Mehta प्रस्तुत करेगा कि यदि किसी गैर सरकारी संगठन के कहने पर इस तरह की स्पष्ट रूप से झूठी और प्रेरित रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं क्योंकि नक्सलों के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न पुलिस और अर्धसैनिक बलों का मनोबल हिल जाएगा।

34. Mr.Mehta, अपने प्रस्तुतिकरणों के दौरान, एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पर प्रकाश डाला कि कैसे समय के साथ, नक्सलों के पास है।

आदिवासियों के कल्याण और हितों के लिए एक गैर सरकारी संगठन चलाएँ। Mr.Mehta के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की संख्या। 2 13 बिल्कुल देहाती और अनपढ़ आदिवासी हैं। यह याचिकाकर्ता नं. 1 ताकि वे याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने के लिए उचित समझे हों। 35. Mr.Mehta प्रस्तुत करेगा कि यह याचिका वर्ष 2009 की है। आज तक लगभग 13 साल बीत चुके हैं। हालाँकि, यह जानना बहुत चौंकाने वाला है कि किसी भी याचिकाकर्ता को उस जाँच के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो पुलिस द्वारा प्रत्येक एफ. आई. आर. एस. के संबंध में पहले ही की जा चुकी है।

36. Mr.Mehta ने पारित एक आदेश की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

दिनांक 15 फरवरी 2010 की एक समन्वय पीठ द्वारा। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" आदेश

मुख्य सचिव ने हमारे निर्देशों के अनुसार अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा होगी और इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

8.2.2010 पर, पक्षों को सुनने के बाद, हमने जारी किया है

निम्नलिखित निर्देशः

" याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि 5 फरवरी, 2010 को इस रिट याचिका के स्थगन के बाद याचिकाकर्ता संख्या। 2 13 को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया या प्रतिवादी-पुलिस द्वारा उन्हें गायब कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने लापता होने के लिए पुलिस के जिम्मेदार होने के बारे में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए दावे की शुद्धता पर गंभीरता से विवाद किया

याचिकाकर्ता सं। 2 13 तक।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

हम इस स्तर पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

कथित से संबंधित इस मुद्दे पर जो कुछ भी हो

याचिकाकर्ता सं. का गायब होना। 2 13 तक।

चाहे जो भी हो, हम याचिकाकर्ता संख्या की जांच करना चाहेंगे। 2 13 तक और उनके पक्ष को सुनें कि इस मामले में क्या हुआ जब हमने इस याचिका की सुनवाई 5 फरवरी, 2010 को या उससे पहले स्थगित कर दी। न्याय के हित के लिए याचिकाकर्ता संख्या को पेश करने की आवश्यकता होती है। 2 इस न्यायालय में 13 तक। हम, तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता संख्या प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। 2 के प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 2010 को इस न्यायालय में 13

इस याचिका की आगे की सुनवाई।

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और 15 फरवरी, 2010 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

हमारे निर्देशों के अनुसार पहले प्रतिवादी ने छह प्रस्तुत किए

13 याचिकाकर्ताओं में से श्री सोयम राम, श्री कुंजम हिडमा, श्री मदवी हिडमा, श्री सोयम दुल्ला, श्रीमती. मुचकी सुकरी और श्रीमती. सोधी साम्बो (याचिकाकर्ता सं। क्रमशः 2,3,4,7,8 और 13)। हमें सूचित किया जाता है कि छह

आज हमारे सामने पेश किए गए याचिकाकर्ता केवल 'गोंडी भाषा' बोलते हैं और कोई अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। में

परिस्थितियों में, हमारे लिए उनसे कोई जानकारी प्राप्त करना और उनके साथ बातचीत करना भी संभव नहीं होगा। हमारा मानना है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

विचार करें।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए

किसी भी बाहरी एजेंसी या व्यक्तियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से। इन परिस्थितियों में हम अनुरोध करना उचित समझते हैं।

श्री जी. पी. मित्तल, जिला न्यायाधीश-I, तीस हजारी, दिल्ली दुभाषिया मोहन सिन्हा के साथ-साथ पहले याचिकाकर्ता श्री हिमांशु कुमार की उपस्थिति में अपने बयान दर्ज करेंगे, जिन्हें उनकी भाषा से परिचित बताया जाता है। जिला न्यायाधीश पहले स्वयं को संतुष्ट करेगा कि [2022] 11 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ता, जिनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है, वे किसी भी तरह के दबाव या खतरे में नहीं हैं। हम जिला न्यायाधीश से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे दिल्ली की तरह ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसके लिए भारत संघ समय-समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करेगा। भारत के विद्वान महान्यायवादी ने हमारे समक्ष कहा है कि जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के संदर्भ में,

भारत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

हम याचिकाकर्ता श्री कॉलिन गोंजाल्विस के विद्वान वकील या उनके द्वारा नामित किसी अन्य वकील को जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित होने की भी अनुमति देते हैं। भारत संघ के वकील और वकील के साथ

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए।

हम यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि जिला न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेगा कि उसके सामने पेश किए गए व्यक्ति किसी भी दबाव से मुक्त हैं और किसी भी बाहरी एजेंसी/पक्ष से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से बयान देने में सक्षम हैं। विद्वान जिला न्यायाधीश से एक वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है

पूरी कार्यवाही।

न्यायिक पंजीयक इस आदेश को तुरंत जिला न्यायाधीश को प्रेषित करेगा। इस आदेश की प्रति सभी पक्षों के वकील को भी दी जाएगी। इस मामले को कल 1 बजे सूचीबद्ध करें।

15 पी. एम. आगे के निर्देशों के लिए न्यायालय में।

37. Mr.Mehta के अनुसार, उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के विभिन्न बयान जिला न्यायाधीश-I और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा दर्ज किए गए। याचिकाकर्ताओं के ऐसे बयानों को सीधे पढ़ने से संकेत मिलता है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि रिट याचिका के ज्ञापन में क्या कहा गया है और किस कारण से रिट याचिका दायर की गई है। ऊपर निर्दिष्ट आदेश के माध्यम से इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यायिक अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान, रिट याचिकाकर्ता सं। 1 .

38. Mr.Mehta ने इस न्यायालय के समक्ष मामले पर सख्त विचार करने का आग्रह किया। Mr.Mehta ने यह भी बताया कि भारत संघ ने एक दायर किया है

उचित कार्रवाई की मांग करने वाला 2022 का अंतर्वर्ती आवेदन No.52290 हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ। हम थोड़ी देर बाद अंतर्वर्ती आवेदन पर गौर करेंगे और उस पर विचार करेंगे।

39. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, Mr.Mehta प्रार्थना करता है कि इस रिट याचिका को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जा सकता है और

रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

छत्तीसगढ़ः

40. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुमीर सोधी ने भी इस रिट याचिका का जोरदार विरोध किया है। ए में

हमें दिए गए लिखित नोट, Mr.Sodhi में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच की और साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में विवरण भी दिया। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" अपराध नं. : 04/2009

पुलिस स्टेशनः भेज्जी

पंजीकरण की तिथिः 18/09/2009

अनुभागः 147 , 148 , 149 , 307 आई. पी. सी.; 25,27 शस्त्र अधिनियम।

घटना की तारीखः 17.09.2009 .

शिकायतकर्ताः श्री रवीन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट। 201 कोबरा बीएन।

अभियुक्तः अज्ञात माओवादी संवर्ग और संगम सदस्य आरोपः नक्सल कैडरों की उपस्थिति की सूचना पर, 16.09.2009 पर एक नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था।

पीएस भेज्जी से गच्छनपल्ली, ऐतराजपद की ओर और

सुरक्षा बलों द्वारा एंटपैड। गचनपल्ली के पास सुरक्षाबलों पर जानलेवा हमला कर भागने लगे थे माओवादी

उनके आश्रय में आग लगा देना।

अंतिम रिपोर्ट का सारः लंबी तलाशी के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और निकट भविष्य में पता चलने की कोई संभावना नहीं होने पर, माननीय अदालत के समक्ष समापन रिपोर्ट दायर की गई। 20.10.2010 .

वर्तमान स्थितिः जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत समापन रिपोर्ट के अनुसार, एक लंबी खोज के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और निकट भविष्य में [2022] 11 एस. सी. आर. मिलने की कोई संभावना नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान प्रमुख द्वारा 26.10.2010 पर समापन रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट।

अपराध नं. : 10/2009 :

पुलिस स्टेशनः चिंटागुफा

पंजीकरण की तिथिः 20/09/2009

अनुभागः 395 , 397 , 147 , 148 , 149 , 302 आई. पी. सी.; 25,27 शस्त्र अधिनियम; 3,4 विस्फोटक। उप. एक्ट करें। घटना की तारीखः 17.09.2009 और 18.09.2009।

शिकायतकर्ताः श्री प्रेमप्रकाश अवधिया, उप निरीक्षक, पीएस। सुकमा

अभियुक्तः 200-300 के बारे में अज्ञात वर्दीधारी महिला और पुरुष नक्सलवादी। आरोपः 16/09/2009 को, पुलिस दल पुलिस स्टेशन चिंटागुफा से नक्सल विरोधी अभियान के लिए सिंगनमडगु के लिए रवाना हुआ। आई. डी. 1 की सुबह जब दल सिंगनमडगु के घने जंगलों में पहुंचा तो नक्सलों का डेरा देखा गया और गोलीबारी हुई। इसके बाद

घटना स्थल की तलाश में मुठभेड़ में हथियार और एक नक्सल का शव बरामद किया गया। फिर कुछ देर बाद एक किलोमीटर आगे अज्ञात माओवादियों ने फिर से पुलिस दल की घेराबंदी कर दी और सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें सहायक

कोबरा कंपनी के कमांडेंट श्रीराम मनोरंजन, सहायक कमांडेंट श्री राकेश कुमार चौरसिया, सब इंस्पेक्टर श्री सुशील कुमार वर्मा, हेड-कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल मनोहरलाल चंद्र और कांस्टेबल उदय कुमार यादे शहीद हो गए और चार अन्य कांस्टेबल सतपाल, कांस्टेबल हरीश ठाकुर, कांस्टेबल कमलवोशे और कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन कुरैशी भी घायल हो गए। अंतिम रिपोर्ट का सारः जांच अधिकारी के अनुसार, लंबी तलाशी के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और चूंकि निकट भविष्य में पता चलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए 20.10.2010 पर माननीय निचली अदालत के समक्ष समापन रिपोर्ट दायर की गई है।

वर्तमान स्थितिः जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत समापन रिपोर्ट के अनुसार, लंबी खोज के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और निकट भविष्य में कोई आरोपी मिलने की संभावना नहीं है।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। राज्य की स्थिति

छत्तीसगढ़ और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विद्वान प्रमुख ए द्वारा बंद करने की रिपोर्ट 26.10.2010 पर स्वीकार की जाती है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट।

अपराध नं. : 06/2010

पुलिस स्टेशनः भेज्जी

पंजीकरण की तिथिः 21/02/2010

बी.

अनुभागः 147 , 148 , 149 , 302 आई. पी. सी.; 25,27 शस्त्र अधिनियम।

घटना की तारीखः लगभग तीन-चार महीने पहले घटना की तारीख से सुबह 7 बजे, (इसलिए, यहाँ संभावित घटना 01.10.2009 है)

सी.

शिकायतकर्ताः श्री माधवीहद्मा का संबोधनः गच्छनपल्ली (याचिकाकर्ता संख्या 4)

अभियुक्तः 20-25 अज्ञात वर्दीधारी व्यक्ति बंदूक पकड़े हुए और बांदा।

डी.

फरार आरोपी

1 - वेंकटेश एस/ओ अज्ञात

2 - राजेश उर्फ जोगा एस/ओ अज्ञात

3 - विजय उर्फ विजय उर्फ एकन्ना

ई.

4 - सावित्री भाई अज्ञात

5 - मनीला डब्ल्यू/ओ अज्ञात 6 - भीम एस/ओ अज्ञात

7 - जयराम एस/ओ अज्ञात

एफ.

8 - समिता डब्ल्यू/ओ चंद्राना 9 - भास्कर उर्फ राजेश पुत्र वेंकटेश्वरलू

10 - कविता डी/ओ जयराम

आरोपः गच्चानपल्ली निवासी आवेदक जी. माधवीहद्मा की रिपोर्ट पर <आई. डी. 2 पर, आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,302 और 25,27 शस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात माओवादियों के खिलाफ हत्या के लिए पुलिस स्टेशन भेज्जी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मदवी हिडमा, मदवी जोगा, कवासी गंगा, मदकामी चूला और दुधी मुये।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10 फरार अभियुक्त यू/एस। 147 , 148 , 149 , 302 आई. पी. सी.; 25,27 शस्त्र अधिनियम। वर्तमान स्थितिः इनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोंटा द्वारा फरार अभियुक्त।

घटना 2: 01.10.2009 (गोंपैड)

6. गोम्पड़ में हुई घटना के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य ने उस दिन किए गए अपराधों के खिलाफ पहले ही प्राथमिकियां दर्ज कर ली हैं। एफ. आई. आर. का विवरण इस प्रकार हैः

अपराध नं. : 05/2009

पुलिस स्टेशनः भेज्जी

पंजीकरण की तिथिः 25/11/2009

अनुभागः 147 , 148 , 149 , 307 आई. पी. सी.; 25,27 शस्त्र अधिनियम।

घटना की तारीखः 01.10.2009 .

शिकायतकर्ताः श्री मात्रम बरिहा, हेड कांस्टेबल, पीएस।

भेज्जी

अभियुक्तः बड़ी संख्या में अज्ञात वर्दीधारी माओवादी। आरोपः बढ़ी हुई गतिविधियों की जानकारी पर और

गोंपड गाँव पीएस भेज्जी में सशस्त्र नक्सलों के शिविर, कोबरा 201 बीएन की तीन टीमें इंजराम से 30/09/2009 पर एक नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुईं। 01.10.2009 पर इस संयुक्त दल पर गोम्पड़ में माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था।

अंतिम रिपोर्ट का सारः जांच अधिकारी के अनुसार, लंबी तलाशी के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और निकट भविष्य में समापन रिपोर्ट मिलने की कोई संभावना नहीं होने पर माननीय अदालत के समक्ष 20.10.2010 पर दायर किया जाता है।

वर्तमान स्थितिः द्वारा प्रस्तुत समापन रिपोर्ट के अनुसार

जांच अधिकारी, एक लंबी खोज के बाद भी कोई आरोपी नहीं मिला और निकट भविष्य में पता चलने की कोई संभावना नहीं है

बंद करने की रिपोर्ट विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 26.10.2010 पर स्वीकार की जाती है।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपराध नं. : 01/2010

पुलिस स्टेशनः भेज्जी

पंजीकरण की तिथिः 08/01/2010

अनुभागः 396 , 397 आई. पी. सी., 25,27 शस्त्र अधिनियम।

घटना की तारीखः दिवाली से लगभग एक सप्ताह पहले।

शिकायतकर्ताः श्री सोयाम रामा (याचिकाकर्ता संख्या 2)

अभियुक्तः अज्ञात सशस्त्र वर्दीधारी व्यक्ति 20-25

फरार आरोपी

1 - वेंकटेश एस/ओ अज्ञात

2 - राजेश उर्फ जोगा एस/ओ अज्ञात

3 - विजय उर्फ विजय उर्फ एकन्ना

4 - सावित्री भाई अज्ञात

5 - मनीला डब्ल्यू/ओ अज्ञात 6 - भीम एस/ओ अज्ञात

7 - जयराम एस/ओ अज्ञात

8 - समिता डब्ल्यू/ओ चंद्राना 9 - भास्कर उर्फ राजेश पुत्र वेंकटेश्वरलू

10 - कविता डी/ओ जयराम

आरोपः 08/01/2010 पर आवेदन की जानकारी पर सोयम राम पुत्र सोयम कन्ना निवासी गोम्पड गाँव

एफ. आई. आर.-1/2010 आई. पी. सी. की धारा 396,397,25,27 शस्त्र अधिनियम के तहत पीएस भेज्जी में दर्ज किया गया था और अज्ञात के खिलाफ जांच की गई थी।

7 मृतक की हत्या करने वाले माओवादी-माधवी बाः माधवीसुब्बी, माधवीमुट्टी, कट्टमकन्नी, माधवी एन सोयामसुब्बा और सोयाम जोगी।

अंतिम रिपोर्ट का सारः 09/09/2010 ए. जी. आई. पर दाखिल आरोप पत्र 10 आई. पी. सी. की धारा 396,397 के तहत फरार आरोपी नामित; 25,27 ए. आर.

एक्ट करें। वर्तमान स्थितिः माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा फरार आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है।

प्रथम श्रेणी का कोंटा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध नं. : 07 2010

पुलिस स्टेशनः भेज्जी

पंजीकरण की तिथिः 22/02/2010

अनुभागः 147 , 148 , 149 , 302 आई. पी. सी., 25,27 शस्त्र अधिनियम।

घटना की तारीखः लगभग पाँच महीने पहले

घटना की तारीख से सुबह, (इसलिए, यहाँ घटना 01.10.2009 है)

शिकायतकर्ताः श्री. कोमराम लच्छा, पता-चिंता

बांदा। फरार आरोपी

1 - वेंकटेश एस/ओ अज्ञात

2 - राजेश उर्फ जोगा एस/ओ अज्ञात

3 - विजय उर्फ विजय उर्फ एकन्ना

4 - सावित्री भाई अज्ञात 5 - मनीला डब्ल्यू/ओ अज्ञात

6 - भीम एस/ओ अज्ञात

7 - जयराम एस/ओ अज्ञात

8 - समिता डब्ल्यू/ओ चंद्राना 9 - भास्कर उर्फ राजेश पुत्र वेंकटेश्वरलू

10 - कविता डी/ओ जयराम

आरोपः ऐप की रिपोर्ट आने पर 22/02/2010 पर

चिंटागुफा निवासी कोमराम लच्छा, एफ. आई. आर. No.07/2 धारा 147,148,149,302 आई. पी. सी. और 25,27 शस्त्र अधिनियम के. की हत्या के लिए अज्ञात माओवादियों के खिलाफ पी. एस.-भेज्जी पंजीकृत था। मुट्ठा।

वर्तमान स्थितिः माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा फरार आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है।

फर्स्ट क्लास कोंटा "। हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

41. Mr.Sodhi ने याचिकाकर्ताओं के मामले में निम्नलिखित विरोधाभासों और विरोधाभासों पर भी प्रकाश डालाः

" 1. गर्म तेल सिद्धांत वापस ले लिया गयाः

याचिकाकर्ता ने सारांश के पृष्ठ ई और याचिका पत्र पुस्तक के पृष्ठ 9 पर रिट याचिका में दावा किया कि ओन्धेपारा का एक मुचकी देव (60 वर्ष) 17 सितंबर की सुबह मवेशियों को चरा रहा था। उसे सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिया गया, पीटा गया और गाँव में घसीटा गया। उसे एक पेड़ से उल्टा लटका दिया गया और नीचे तेल का एक बर्तन जलाया गया और वह

उसमें गिरा दिया गया। नतीजतन, उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से जल गया था और उनके शरीर में मैगॉट्स विकसित हो गए थे।

हालाँकि, इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष 02.02.2010 दिनांकित Crl.M.P वाला एक आवेदन दायर किया। 3173/2010 इस माननीय न्यायालय से निर्देश मांगना। उक्त आवेदन में, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के पैराग्राफ 18 में गर्म तेल सिद्धांत को यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह एक गलती थी जो अनुवाद के दौरान हुई थी। अब यह दावा किया जाता था कि मुचकी को बिजली का झटका लगने से जला दिया गया था

उसके सिर पर तार।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान रिट याचिका लगभग 27.10.2009 पर दायर की गई थी, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका की सामग्री के आधार पर 23.11.2009 पर नोटिस जारी किया गया था,

और सी. आर. आई. वाला अंतर्वर्ती आवेदन। सांसद नं.

3173.2010 02.02.2010 पर स्थानांतरित किया गया था। इसलिए, यह प्रासंगिक है

यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने देश के रक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के संबंध में कई बार अपना रुख बदला है।

2. धारा की तुलना में शिकायत में विरोधाभास। 164 बयान

हत्याओं के बारे में -

वर्तमान के साथ दायर शिकायत में याचिकाकर्ता संख्या 5

पेपरबुक के पृष्ठ 35 पर लिखित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे की हत्या एस. पी. ओ. द्वारा आई. डी. 1 पर की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने हलफनामे दिनांक 30.08.2010 में पैराग्राफ 8 में कहा है कि 11.03.2010 पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज याचिकाकर्ता संख्या 5 के बयान में उन्होंने कहा है कि उनके तीन साल पहले बेटे की हत्या कर दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता की लिखित प्रस्तुतियों में गलत कथा बनाने की मांग की गई -

याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 13 का एक सादा अध्ययन सुरक्षा का एक क्रूर प्रभाव पैदा करता है।

इस प्रभाव के लिए मजबूर करता है कि याचिकाकर्ता No.13 की दो साल की उम्र

बच्चे की उंगलियां काटने के बाद पोते की हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 13 की कथित साइक्लोस्टाइल शिकायत पृष्ठ 53 पर है जबकि इस न्यायालय के आदेशों के तहत दर्ज किया गया उसका बयान पेपरबुक के पृष्ठ 171 पर पाया जा सकता है। इन दोनों दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं था

सोधी साम्बो अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 13 द्वारा बनाया गया।

4. लिखित याचिका की सामग्री की गैर-पुष्टि के साथ

जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान

इस न्यायालय द्वारा नियुक्त

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रिट याचिका, जिसे राज्य द्वारा जोरदार रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता सं। 2-13 नई दिल्ली में एक जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से कोई भी

याचिकाकर्ता रिट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हैं

याचिका। इसके अलावा याचिकाकर्ता यह भी नहीं कहते हैं कि उनके

वर्दीधारी व्यक्तियों द्वारा रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। - बयानों का संदर्भ दिया जा सकता है- पृष्ठ 154 के बाद

5. याचिकाकर्ता संख्या 2 से 13 के प्राधिकरण का कोई शपथ पत्र नहीं

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता संख्या 1 (हिमांशु कुमार) द्वारा दायर की गई है।

याचिकाकर्ता संख्या 2 से 13। हालांकि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई हलफनामा नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 से 13 ने याचिकाकर्ता को अधिकृत किया हो।

नंबर 1 "।

42. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, Mr.Sodhi प्रार्थना करता है कि

वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, न्यायालय को गुमराह करने और गलत साक्ष्य गढ़ने के लिए प्रत्येक रिट ऑनर्स के खिलाफ अनुकरणीय लागत और उचित कार्रवाई को खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषणः

43. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया गया, एकमात्र प्रश्न जो हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

हमारे विचार के लिए यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सी. वी. आई. के माध्यम से दोनों घटनाओं की जांच के लिए कोई मामला बनाया गया है।

कानून की स्थितिः

44. अब यह तय कानून है कि यदि कोई नागरिक है, जो एक वास्तविक नागरिक है।

उच्च न्यायालय के खिलाफ अपने कानूनी या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को प्रभावित करने वाले संज्ञेय अपराध का आरोप लगाने वाले आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता सरकारी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति, अदालत के समक्ष सीबीआई द्वारा कथित कथित अपराध की जांच के निर्देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना केवल पूछने पर नहीं दी जानी चाहिए। की एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में v. (2010) 3 एस. सी. सी. 571 में रिपोर्ट की गई लोकतांत्रिक अधिकारों की संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित टिप्पणियों को उन स्थितियों की ओर इशारा करते हुए किया है जहां सी. बी. आई. द्वारा जांच के लिए अनुरोध की अनुमति दी जानी चाहिएः

" 70 ..... जहाँ तक सीबीआई को निर्देश जारी करने का सवाल है

यह तय करने के लिए लचीले दिशानिर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं कि क्या या ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बार-बार

दोहराया गया है कि इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जाना है रूटीन की बात या केवल इसलिए कि किसी पार्टी ने बराबरी कर ली है

स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप। यह असाधारण

शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए।

असाधारण परिस्थितियाँ जहाँ प्रदान करना आवश्यक हो जाता है विश्वसनीयता और जांच में विश्वास पैदा करना या जहां

घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं

या जहाँ ऐसा आदेश पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है

न्याय और मौलिक अधिकारों को लागू करना। अन्यथा सीबीआई

बड़ी संख्या में और सीमित मामलों के साथ बाढ़ आ जाएगी

संसाधन, ठीक से जांच करना भी मुश्किल हो सकता है

गंभीर मामले और इस प्रक्रिया में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और

असंतोषजनक जाँच के साथ उद्देश्य "।

(जोर दिया गया)

45. उपरोक्त निर्णय में यह भी बताया गया था कि

सचिव, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, यू. पी. बनाम सहंगू राम आर्य और अन्न। , (2002) 5 एस. सी. सी. 521 ने कहा था कि सी. बी. आई. द्वारा जाँच का निर्देश देने वाला आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब [2022] 11 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय, अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर आता है कि ऐसी सामग्री एक प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है। सी. बी. आई. या इसी तरह की किसी अन्य एजेंसी द्वारा जाँच के लिए।

46. एक उपयुक्त मामले में जब न्यायालय को लगता है कि

पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित दिशा में नहीं है, और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए और यदि उच्च पुलिस अधिकारी कथित अपराध में शामिल हैं, तो अदालत को ऐसी परिस्थितियों में जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना उचित हो सकता है।

जैसे सी. बी. आई.। अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी अदालत को एक उचित मामले में जांच को सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अधिकार है।

47. संवैधानिक न्यायालयों की असाधारण शक्ति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में कहा गया है कि सी. बी. आई. को जांच करने के लिए निर्देश जारी करने का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल (उपरोक्त) के मामले में रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हालांकि इस संबंध में कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी यह रेखांकित किया गया है कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता है या केवल इसलिए कि पक्षों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां जांच में विश्वसनीयता प्रदान करना और विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां ऐसा आदेश पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यद्यपि उचित, निष्पक्ष, निष्पक्ष और प्रभावी जांच की कमी की संतुष्टि, जिससे इसकी विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का क्षरण होता है, आगे की जांच या पुनः जांच के निर्देश के लिए पूर्व शर्त है, लेकिन आरोप पत्र को प्रस्तुत करना या मुकदमा लंबित होना, किसी भी तरह से, एक निषेधात्मक बाधा नहीं हो सकती है। सच्चाई को उजागर करने और पक्षों को न्याय दिलाने के लिए आगे की जांच या पुनः जांच की आवश्यकता तय करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और परिवेशक परिस्थितियों का एकल मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। न्यायालय की प्रमुख चिंता और प्रयास सत्य तथ्यों के आधार पर न्याय प्राप्त करना होना चाहिए, जिनका पता एक प्रतिबद्ध, संकल्पित और सक्षम न्याय प्रणाली के माध्यम से लगाया जाना चाहिए।

जाँच एजेंसी।

48. उपरोक्त सिद्धांत को के. वी. राजेंद्रन बनाम में दोहराया गया है। पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई (2013) 12 हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एससीसी 480। डॉ. बी. एस. चौहान, जे. ने इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

..... इस न्यायालय ने बार-बार इस मुद्दे पर विचार किया है

" 13 .

किन परिस्थितियों में जाँच को राज्य की जाँच एजेंसी से किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है
सी. बी. आई. जैसी जाँच एजेंसी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह की जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति दुर्लभ और असाधारण मामलों में होनी चाहिए जहां अदालत न्याय करने के लिए इसे आवश्यक समझती है।

पक्षकारों के बीच और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता की कमी है और "निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच" के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से जब जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है।

राज्य अभिकरणों के निष्पक्ष कार्य में। ..... "

49. इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय ने आगे कहाः " 17. ..... न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है

केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में राज्य की जाँच एजेंसी से जाँच को सी. बी. आई. जैसी किसी अन्य स्वतंत्र जाँच एजेंसी को हस्तांतरित करना। जैसे कि जहां राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या आरोप स्वयं शीर्ष के खिलाफ है

जाँच एजेंसी के अधिकारी इस प्रकार उन्हें अनुमति देते हैं

जाँच को प्रभावित करना, और आगे यह इतना आवश्यक है कि न्याय करना और जाँच में विश्वास पैदा करना या जहाँ

जांच प्रथम दृष्टया दागी/पक्षपाती पाई गई है।

लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ अवलोकन को पढ़ा जाना चाहिए, कि पुलिस के खिलाफ केवल आरोप जांच को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। 51. रोमिला थापर बनाम। भारत संघ, (2018) 10 एस. सी. सी. 753, हममें से एक, A.M.Khanwilkar, जे., ने इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ (डॉ. D.Y.Chandrachud, जे. असहमति) की ओर से बोलते हुए इस सिद्धांत को निर्धारित करने वाले उदाहरणों की एक पंक्ति में कहा कि अभियुक्त के पास "कोई अधिकार नहीं है।

जाँच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में कहें "। इस सिद्धांत को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने नर्मदा [2022] 11 एस. सी. आर. में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा किया।

बाई वी। गुजरात राज्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 79, संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम। भारत संघ, (2016) 1 एस. सी. सी. 1, ई. शिवकुमार बनाम। भारत संघ, (2018) 7 एस. सी. सी. 365, और डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम। केरल राज्य, 2008) 3 एससीसी 542। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 30 ..... इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अभियुक्त जाँच एजेंसी को बदलने या अदालत की निगरानी में जाँच सहित किसी विशेष तरीके से जाँच करने के लिए नहीं कह सकता है।

52. यह इस न्यायालय द्वारा सी. बी. आई. और एक अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। राजेश गांधी और एक अन्य, 1997 Cr.L.J 63, कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि

अपराध की जाँच किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। हम उपरोक्त निर्णय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। एक पीड़ित व्यक्ति केवल यह दावा कर सकता है कि वह जिस अपराध का आरोप लगाता है, उसकी ठीक से जांच की जाए, लेकिन उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी जांच उसकी पसंद की किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।

53. इस न्यायालय के उदाहरणों से जो कानून का सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए।

" संयम से "और केवल" असाधारण परिस्थितियों में "। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई याचिका का आकलन करते हुए कि जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, हम उस असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों द्वारा निर्देशित हैं।

यह स्थापित किया कि यह सी. बी. आई. द्वारा जाँच के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना की अनुमति देने के लिए एक उपयुक्त मामला है। 55. हम वास्तव में आश्चर्यचकित हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील इस तथ्य से बिल्कुल अनजान हैं कि

संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा सभी प्राथमिकियों की जांच की गई और जांच के अंत में, हत्या, डकैती आदि जैसे आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए।

56. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि आगे की जांच या पुनः जांच के लिए नाम के लायक कोई मामला भी नहीं कहा जा सकता है। 57. ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राथमिकियों की जांच के समापन पर आरोप पत्र दाखिल करने से संकेत मिलता है कि कथित नरसंहार नक्सलों (माओवादियों) के अंत में हुआ था।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सी. बी. आई. को सौंपा जाए। हालांकि, तथ्य यह है कि जांच पहले ही की जा चुकी है और आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। दुर्भाग्य से, न तो रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और न ही किसी रिट याचिकाकर्ता की ओर से, विशेष रूप से, रिट याचिकाकर्ता नं. 1 , वर्तमान रिट याचिका दायर करने के पीछे के नायक, जो एक एनजीओ चलाता है, को आरोप पत्र और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में कोई जानकारी है। यदि जाँच पहले ही की जा चुकी है और आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं और यदि अदालत को अब रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करना है, तो यह आगे की जाँच का मामला बन जाएगा।

59. हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि हम ऊपर की तरह ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश पर वापस आते हैं।

दिनांक 15 फरवरी 2010। उसी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के बयान जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा दर्ज किए गए थे। हम जिला और सत्रों द्वारा दर्ज किए गए ऐसे ही एक बयान को उद्धृत कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता के न्यायाधीश नं. 2 , अर्थात्, सोयाम राम। हम पूरा कथन नीचे उद्धृत करते हैंः

" वर्तमानः

याचिकाकर्ता नंबर 1 हिमांशु कुमार वकील श्री कॉलिन गोंस्लेव्स के साथ। श्री दिव्या ज्योति, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री अतुल झा अधिवक्ता के साथ श्री डी. के. सिन्हा अधिवक्ता,

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वकील।

श्री पी. के. डे, यू. ओ. आई. की ओर से अधिवक्ता श्री

जितेंद्र, अधिवक्ता।

श्री आर. के. तंवर, अतिरिक्त निदेशक। सरकार के लिए पी. पी. दिल्ली के एन. सी. टी. श्री नवीन कुमार, सहायक। लोक अभियोजक

3 बजेः 49 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी. आर.) 103/09, जिसका शीर्षक हिमांशु कुमार और अन्य बनाम के रूप में है, में पारित दिनांक 15.2.2010 का आदेश। छत्तीसगढ़ राज्य, मेरा स्वागत किया गया था

कार्यालय का शीर्षक हिमांशु कृष्ण है। & ओआरएस।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले, मुझे श्री T.Sivadasan, पंजीयक (न्यायिक) से एक टेलीफोन कॉल आया था, जिसमें मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचित किया गया था।

शाम करीब 5 बजे। , रिट याचिका की फाइल प्राप्त हो गई थी। इसके बाद इस आदेश का शुद्धिपत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें आदेश के पृष्ठ 2 पर याचिकाकर्ता संख्या 8 का नाम उल्लिखित किया गया था। शाम करीब 6 बजे याचिकाकर्ता मेरी अदालत No.301 पहुँच गए थे। उपरोक्त पक्षों के वकील थे

उपस्थित भी हैं। मैंने अदालत में पक्षों के वकीलों के साथ-साथ याचिकाकर्ता संख्या 1 से बात की है और समझाया है कि मैं प्रत्येक याचिकाकर्ता से बात करूंगा। सिवाय इसके कि

याचिकाकर्ताओं, वकील सहित सभी व्यक्तियों से अदालत कक्ष से बाहर जाने का अनुरोध किया गया था। मैं मंच से उतर गया और याचिकाकर्ता नंबर 1 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं से बात की।

हिमांशु कुमार। मैंने याचिकाकर्ताओं को सहज बनाने की कोशिश की और

उन्हें चाय और बिस्कुट परोसे। मैंने उनसे पूछा है कि क्या किसी भी हिस्से से कोई डर या दबाव था जिसे उन्होंने नकार दिया है। मैंने उपस्थित याचिकाकर्ताओं से कहा है कि मैं तीस हजारी अदालत में बगल के कमरे No.302 में उनके बयान दर्ज करने के उद्देश्य से उन्हें एक-एक करके बुलाऊंगा।

पहली बार में याचिकाकर्ता नंबर 2 श्री सोयाम रामा को बुलाया गया है। पक्षों के नामित वकील के अलावा याचिकाकर्ता नंबर 1 श्री हिमांशु कुमार और दुभाषिया श्री मोहन सिन्हा को भी कमरे में बुलाया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 2 को याचिकाकर्ता संख्या 1 और दुभाषियों श्री मोहन सिन्हा के बीच में बैठाया गया है।

श्री का कथन लीजिए। सोयाम राम को दर्ज किया जाए।

प्रश्नः तेरा नाम क्या है?

उत्तर। मेरा नाम सोयाम रामा है।

प्रश्नः आप कहाँ रहते हैं?

उत्तर। मैं गाँव गोम्पड़ का निवासी हूँ।

उत्तर। मेरे पास एक भी नहीं है। प्र. क्या आप जानते हैं कि आपको यहाँ किस उद्देश्य से लाया गया है?

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उ. हमारे परिवार के लोग मर गए हैं और इसलिए मैं आया हूं।

प्र. क्या किसी ने आप पर कोई विशेष बयान देने के लिए कोई दबाव डाला है? क्या किसी ने आपको डराया है?

उत्तर। किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला या मुझे आतंकित नहीं किया।

प्र. क्या आप अपनी मर्जी से बयान देना चाहते हैं?

उ. हां।

(मुझे संतोष है कि श्री सोयाम राम किसी दबाव में नहीं हैं।

बयान देने के लिए जबरदस्ती या आतंक)।

याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार की उपस्थिति में दुभाषिया श्री मोहन सिन्हा के माध्यम से एस. ए. पर श्री सोयाम राम पुत्र श्री सोयाम कन्ना का वक्तव्य। दोनों दुभाषियों ने शपथ पर यह भी कहा है कि जो कुछ भी हो

गवाह से पूछा जाएगा और उसके उत्तरों की सही और सही व्याख्या की जाएगी)। ऑन. 1.10.2009 , मेरे मामा माधवी बाजार के घर में गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में, मेरे चाचा

माधवी बाजार और पैतृक चाची श्रीमती। माधवीसुदवीसुबी और भतीजी माधवीमुद्दी और श्रीमती. कर्तनकट्टी को मार दिया गया। एक और व्यक्ति, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, भी गोलीबारी में मारा गया। हम मौके से भाग गए थे और इसलिए, यह नहीं देख सके कि किसने गोली चलाई थी।

प्रश्नः क्या आपको यकीन है कि यह गोलीबारी 1.10.2009 पर या उससे पहले हुई थी?

उत्तर। मुझे यकीन है कि गोलीबारी 01.10.2009 पर हुई थी।

कुछ अन्य लोग भी मारे गए, लेकिन मेरी उपस्थिति में नहीं।

उत्तर। पहली बार में, उपरोक्त चार व्यक्ति थे - चाकू से वार किया गया और उसके बाद उन्हें गोलियों से मारा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रश्नः क्या आप बता सकते हैं कि फायर का विवरण एक बड़ी बंदूक या पिस्तौल था? उत्तर। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने गोली की आवाज सुनी और

दूर।

प्रश्नः उक्त चोट किसके कारण लगी थी और गोली किसने चलाई थी?

उत्तर। जिन लोगों ने उपरोक्त व्यक्ति को चाकू मारा, उन्होंने गोली चला दी, वे जंगल से आए थे। मैं ऊपर से भाग गया कि व्यक्तियों को चाकू मारा गया था और आग लगी थी

प्रश्नः क्या आप इसकी पहचान करने की स्थिति में होंगे?

उत्तर। मैं उन्हें पहचानने की स्थिति में नहीं होता।

प्रश्नः क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

उत्तर। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। बाएं अंगूठे का निशान

एसडी /

सोयाम राम

जिला न्यायाधीश-आई/देई

15.02.2010

एस. G.P.MITTAL

जिला न्यायाधीश-I और सत्र

(हमने दर्ज किए गए गवाह के बयान के माध्यम से सही मायने में पूछे गए प्रश्नों और उत्तरों की व्याख्या की है

वही सही है।

एसडी /

एसडी /

डी. जे. , - 1 / 15-2-2010

(हिमांशु कुमार)

एस. G.P.MITTAL

जिला न्यायाधीश-I और सत्र

एसडी /

(मोहन सिन्हा) "

(हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। राज्य की स्थिति

छत्तीसगढ़ और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

60. बाकी रिट याचिकाकर्ताओं के अन्य सभी बयान जारी हैं।

एक ही रेखा और पैर।

61. जब हमने Mr.Gonsalves को यह समझाने के लिए बुलाया कि उसके मुवक्किलों को न्यायिक अधिकारी के सामने इस तरह के बयान क्यों देने पड़े, तो Mr.Gonsalves से एक बहुत ही जिज्ञासु जवाब आया। के अनुसार

Mr.Gonsalves, जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के न्यायिक अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करने का पूरा तरीका और तरीका बिल्कुल गलत था। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रत्येक रिट याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करते समय ऊपर उल्लिखित 15 फरवरी 2010 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे।

62. हमें डर है कि हम लगभग 12 साल की अवधि के बाद इस तरह के समर्पण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। जिन कथनों का हम उल्लेख कर रहे हैं

न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित वर्ष 2010 के हैं। पिछले 12 वर्षों में एक बार भी मौखिक या लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं की गई है

बयानों को दर्ज करने के तरीके और तरीके के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष। 12 वर्षों में यह पहली बार है जब इस तरह की शिकायत की गई है। यदि रिट याचिकाकर्ताओं ने बयानों को दर्ज करने के तरीके और तरीके के संबंध में उचित समय पर और समकालीन रूप से ऐसी याचिका दायर की होती, तो यह न्यायालय न्यायिक अधिकारी को एक विशेष तरीके से आगे के बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करता। जिला और सत्र न्यायाधीश रैंक के न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने इस न्यायालय के निर्देशों के तहत काम किया था, के खिलाफ कोई भी आक्षेप या आक्षेप लगाने में अब बहुत देर हो चुकी है।

दाखिल किए गए हैं जो फरार हैं। अब यह संबंधित निचली अदालत पर है कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाए। यदि आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति फरार हैं, तो जांच एजेंसी से उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाने की उम्मीद की जाती है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अब यह निचली अदालत पर है कि वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करे। 65. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिट [2022] 11 एस. सी. आर. द्वारा नाम के लायक कोई मामला नहीं बनाया गया है।

इस न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किसी भी आगे की जांच के लिए याचिकाकर्ता। उपरोक्त मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा पहले उद्धृत लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल (ऊपर) के मामले में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। 66. तदनुसार रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे रुपये की अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। 5,00,000 / - (केवल पाँच लाख रुपये)। लागत के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान याचिकाकर्ता सं। 1 अर्थात्। हिमांशु कुमार। याचिकाकर्ता नं. 1 आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास राशि जमा करेगा; ऐसा न करने पर, संबंधित प्राधिकरण के लिए यह लेने के लिए खुला रहेगा।

अपेक्षित राशि की वसूली के लिए कानून के अनुसार उचित कदम। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

इंटरलोक्यूटरी आवेदन सं। 52290 2022 का

67. यह भारत संघ के आग्रह पर निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ एक आवेदन है:

" (क) याचिकाकर्ताओं को अपराध के झूठे आरोप लगाने और सुरक्षा बलों के कर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने और वास्तविक अपराध की जांच करने के इरादे से इस माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य देने का दोषी ठहराएँ।

वामपंथी (नक्सल) आतंकवाद के अपराधी;

(ख) सी. बी. आई./एन. आई. ए. या किसी अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी या किसी अन्य निगरानी समिति को, जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझता है, एक एफ. आई. आर. दर्ज करने और उन व्यक्तियों/संगठनों की पहचान करने के लिए एक गहन जांच करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें, जो झूठे और गलत आधार पर याचिकाएं दायर करने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें सुविधाजनक बना रहे हैं।

इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष मनगढ़ंत साक्ष्य या तो रोकने के उद्देश्य से

सुरक्षा एजेंसियां वामपंथी (नक्सल) मिलिशिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई करें या वामपंथी (नक्सल) मिलिशिया को माननीय अदालतों के समक्ष उत्पीड़न की झूठी कहानी गढ़कर न्याय के कटघरे में लाने से रोकें;
(ग) और याचिकाकर्ताओं और झूठी गवाही के उपरोक्त कृत्यों के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दें; हिमांशु कुमार और अन्य v.

(घ) किसी भी अन्य न्यायसंगत और उचित आदेश को पूरा करने के लिए पारित करें

न्याय का अंत "।

68. हमने अंतर्वर्ती आवेदन में किए गए कथनों को बारीकी से देखा है। 69. Mr.Tushar मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने इस आवेदन पर बहुत जोर दिया है।

70. हालाँकि इस आवेदन को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि यह धारा 340 के तहत है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "दंड प्रक्रिया संहिता") को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के साथ पढ़ा जाता है। भारत संघ चाहता है कि यह न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत दंडनीय झूठी गवाही के अपराध के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करे। भारत संघ

इस बात पर जोर देते हुए कि रिट याचिकाकर्ता विभिन्न अपराधों के झूठे आरोप लगाने के दोषी हैं और कहा जा सकता है कि उन्होंने न्यायिक कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष मनगढ़ंत सबूत दिए हैं। भारत संघ का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता नं। 1 में किए गए झूठे कथनों की पुष्टि की है शपथ पर रिट याचिका। कहा जा सकता है कि उन्होंने झूठा हलफनामा दिया था। गलत हलफनामा देना और गलत सबूत देना आई. पी. सी. की धारा 191 के दायरे में आता है।

71. इससे पहले कि हम भारत संघ द्वारा दायर इस आवेदन की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, हमें उसमें किए गए कुछ कथनों पर गौर करना चाहिएः

" 4. चौंकाने वाली बात यह है कि याचिका में याचिकाकर्ता ने 17.9.2009 और 1.10.2009 की घटनाओं को अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि इस तरह के कृत्यों को सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बर्बरता के कार्य के रूप में चित्रित करने की मांग की थी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के विशेष अभियान दलों पर जिन लोगों का सामना हुआ, उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने, लूटने और उनकी शील भंग करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे में याचिका में 17.9.2009 और 1.10.2009 पर निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की वीभत्स हत्याओं और नरसंहार का आरोप लगाते हुए घटनाओं का वर्णन किया था।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ग्रामीणों की यातना और हत्याओं के कृत्य इस तरह के हैं। क्रूर और भयानक प्रकृति, ताकि इस माननीय न्यायालय द्वारा आक्रोश की तत्काल प्रतिक्रिया का आह्वान और उकसाया जा सके, जिससे निर्विवाद रूप से राहत/अंतरिम राहत प्रदान की जा सके जैसा कि प्रार्थना की गई थी [2022] 11 एस. सी. आर.

याचिका में। सार और सार में, प्रार्थना की गई नक्काशी उस प्रकृति की थी जिसमें सुरक्षा बलों के संचालन को रोकने की मांग की गई थी और वामपंथी चरमपंथियों को पीड़ित होने की कथा के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी।

8. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि का एक नंगे अवलोकन

एल. डी. द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्डिंग आदि। इस माननीय न्यायालय के समक्ष जिला न्यायाधीश ने खुलासा किया कि याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सभी कथन पूर्व-दृष्टि से झूठे और मनगढ़ंत थे और अब यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने और अपनी अंतरात्मा और उदारता के साथ धोखाधड़ी करके इस न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण और दुस्साहसी प्रयास के साथ सभी कथित कपटपूर्ण कथन किए गए थे।

दुर्भावनापूर्ण डिजाइन यानी खतरनाक वामपंथी को चित्रित करने के लिए चरमपंथी (नक्सल), जो देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल रहे थे, क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासी पीड़ितों का नरसंहार किया जा रहा था।

10. यह इस माननीय न्यायालय द्वारा आक्रोश की तत्काल प्रतिक्रिया को भड़काने और सुरक्षा बलों के संचालन और मनोबल पर प्रतिकूल और निवारक प्रभाव डालने वाले तथ्यों की गलत धारणा के तहत सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए गुमराह करने के लिए एक छलपूर्ण योजना के साथ किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में अपनाई गई कार्यप्रणाली, समय के साथ, एक मानक बन गई है जहां व्यक्तियों और संगठनों द्वारा झूठी याचिकाएं दायर की जाती हैं जो हैं

या तो वामपंथी उग्रवाद के समर्थक या वामपंथी चरमपंथी गतिविधियों से आर्थिक और राजनीतिक रूप से लाभान्वित होते हैं और

खेलकर अदालतों से सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त किए जाते हैं। धोखाधड़ी। अदालत में धोखाधड़ी करने के लिए उनके खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के अभाव ने उन्हें प्रोत्साहित किया है जिन्होंने अब स्व-सेवारत/स्वयं उत्पन्न तथ्य निष्कर्ष के आधार पर ऐसी झूठी और परेशान करने वाली याचिकाएं दायर करने की प्रथा बना ली है

रिपोर्ट करते हैं। 11. बाद में, यह स्पष्ट हो गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के नरसंहार का यह झूठा आख्यान हिमांशु कुमार और अन्य बनाम बनाया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

किसी भी तरह से सशस्त्र वामपंथी चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की प्रगति को तत्काल रोकने के लिए। उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, और वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा इस माननीय न्यायालय को गुमराह करके और अदालत के समक्ष झूठे तथ्यों/तस्वीर को चित्रित करके और इस माननीय न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिकूल आदेशों की मांग करके इसे प्राप्त किया गया था।

12. इसके अलावा वर्तमान याचिका का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद आंदोलन और सशस्त्र वामपंथी चरमपंथियों को बेअसर करने में सुरक्षा बलों के चल रहे प्रयासों को पटरी से उतारना भी था; सुरक्षा बलों की गरिमा और विश्वसनीयता को छीनना और वामपंथी चरमपंथियों द्वारा सशस्त्र विद्रोह को बेअसर करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास; सुरक्षा एजेंसियों की नैतिकता को कम करना। उन्हें राक्षसों और राष्ट्रीय खलनायक, यानी निर्दोष आदिवासी लोगों के हत्यारों के रूप में चित्रित करना; और उन पर झूठे मामले थोपना ताकि भविष्य में उक्त झूठे मामले निवारक के रूप में कार्य करें और

सशस्त्र बलों के बाकी सदस्यों के लिए इसी तरह के अभियानों की योजना बनाने या उनमें भाग लेने में डर पैदा करने वाला कारक। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह सब देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा की वेदी पर किया गया था। यह संवैधानिक उपायों पर की गई धोखाधड़ी और दुरुपयोग था।

उच्चतम क्रम का।

13. वास्तव में आवेदक/यू. ओ. आई. के सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण में, अब यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान पूर्व-दृष्टया झूठी और धोखाधड़ी वाली याचिका इस माननीय अदालत को धोखा देने के लिए दायर की गई थी।

और वामपंथी चरमपंथी संगठनों के सदस्यों को कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करना। आवेदक के सम्मानपूर्वक प्रस्तुतिकरण में वर्तमान याचिका और कुछ नहीं बल्कि एक छल है और वामपंथी चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध को कवर करने और सुरक्षा बलों को कमजोर करके भविष्य के निर्बाध अभियानों को सुविधाजनक बनाने की साजिश का एक हिस्सा है जो उनके इरादों और संचालन को रोकने वाली एकमात्र चुनौती है। याचिकाकर्ताओं ने, आवेदक के सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण में, तत्काल कपटपूर्ण याचिका को प्राथमिकता देकर, न केवल

साजिश रची और अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया, लेकिन अपराध को छिपाने में भी साजिश रची और उकसाया और

वामपंथी (नक्सल) के अपराधियों/अपराधियों की जांच आतंकवाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनके खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं

फिर भी देश के सुरक्षाकर्मियों ने बलों के सदस्यों के मनोबल और आत्मसम्मान को कम करने का एक डरावना प्रभाव डाला है, जो तब से राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है।

15. इस परिप्रेक्ष्य में, जब यह प्रकट होता है कि वर्तमान याचिका इस माननीय न्यायालय में धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी, जहां इस माननीय न्यायालय से छलपूर्ण मंसूबों/मनगढ़ंत और झूठे दावों के माध्यम से आदेश प्राप्त करने की मांग की गई थी, तो यह न्याय के हित के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा के हित में भी अनिवार्य और अनिवार्य हो गया है कि लोग और संगठन धोखाधड़ी करने में शामिल हैं।

संवैधानिक उपचार और जिनके उदाहरण पर झूठे हलफनामे,

इस माननीय न्यायालय के समक्ष अभिवचन और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी पहचान की जाती है और उनके खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है। यह इस तरह के तरीके को दोहराने के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करने के लिए आवश्यक है।

22. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रक्रिया में, सुरक्षा व्यक्तिगत

झूठ का खामियाजा भुगतने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है आरोप लगा रहे हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शायद ही कभी ऐसा होता है

व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी इस तरह का मुकाबला करने के लिए आगे आते हैं

आरोप, क्योंकि उनका सेवा प्रोटोकॉल उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अनजाने में और अनुचित तरीके से, वे इस तरह के आरोपों के आसान लक्ष्य बन जाते हैं, जिससे इस तरह के आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है

कर्तव्य की एक घटना के रूप में दोष। किसी भी देश में सुरक्षा तंत्र के काम करने के लिए ऐसा वातावरण बेहद अवांछनीय है और वास्तव में राष्ट्र और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों में समाज द्वारा व्यक्त विश्वास किसी भी प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए प्रतिष्ठित और आवश्यक है। कानून.

प्रवर्तन तंत्र दोषपूर्ण नहीं है और प्रतीत नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह भी एक तथ्य है कि जहां भी ऐसी कोई मशीनरी अवैध या अनियमित गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है

कार्यकलाप, यह माननीय न्यायालय और अन्य न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में त्वरित और अडिग रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना, अनुचित और अब तक के बेशर्म झूठे आरोपों से बचने की एक समीचीन और तत्काल आवश्यकता है। हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कानून की स्थितिः

" भारतीय दंड संहिता

धारा 191। गलत सबूत देना। जो कोई भी, कानूनी रूप से किसी शपथ से या सच्चाई बताने के लिए कानून के एक स्पष्ट प्रावधान से बाध्य होने के कारण, या किसी भी विषय पर घोषणा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने के कारण, कोई भी बयान देता है जो गलत है, और जो वह या तो जानता है या झूठ मानता है या सच नहीं मानता है, उसे गलत सबूत देने के लिए कहा जाता है।

न्यायिक कार्यवाही, या किसी लोक सेवक के समक्ष या मध्यस्थ के समक्ष कानून द्वारा की गई कार्यवाही में, और यह कि ऐसी परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत बयान, इस प्रकार साक्ष्य में उपस्थित होने से, किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य पर एक राय बनाना है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए एक गलत राय दर्ज करने के लिए प्रेरित कर सकता है, "झूठे साक्ष्य गढ़ने" के लिए कहा जाता है। धारा 193। झूठे सबूत के लिए सजा। - जो कोई जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में गलत साक्ष्य देता है, या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्ष्य बनाता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और जो कोई जानबूझकर गलत साक्ष्य देता है या गढ़ता है।

किसी अन्य मामले में साक्ष्य को तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 195। कानूनी अधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन

लोक सेवक, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए। — (1) कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा [2022] 11 एस. सी. आर.

(ए)।

.....

(ख) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का, अर्थात् - धारा 193 से 196 (दोनों सहित), 199,200,205 से 211 (दोनों सहित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है।

किसी भी न्यायालय, या ((ii) धारा 463 में वर्णित किसी अपराध का, या उक्त संहिता की धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के तहत दंडनीय, जब ऐसा अपराध कथित रूप से किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया है जिसे प्रस्तुत किया गया है या साक्ष्य के रूप में दिया गया है।

किसी न्यायालय में कार्यवाही, या

((ग) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने या करने का प्रयास करने या करने के लिए उकसाने की किसी आपराधिक साजिश का,

धारा 340। धारा 195 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया। (1) जब इस निमित्त या अन्यथा उसे किए गए आवेदन पर, किसी न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की जांच की जानी चाहिए, जो उस न्यायालय में या, जैसा भी मामला हो, किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया प्रतीत होता है। उस न्यायालय में किसी कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिए गए दस्तावेज़ की, ऐसा न्यायालय, ऐसी प्रारंभिक जाँच के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे,

(क) उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करें;

(ख) लिखित रूप में इसकी शिकायत करें;

(ग) इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजें; (घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा लें, या यदि कथित अपराध गैर-हिमांशु कुमार और अन्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जमानतीय और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, भेजें

ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में अभियुक्त; और

(ई) किसी भी व्यक्ति को पेश होने के लिए बाध्य करता है और पहले सबूत दिया जाता है

ऐसे मजिस्ट्रेट; (2) किसी अपराध के संबंध में उप-धारा (1) द्वारा किसी न्यायालय को प्रदत्त शक्ति, किसी भी मामले में जहां उस न्यायालय ने न तो उप-धारा (1) के तहत शिकायत की है -

कि अपराध और न ही बनाने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया

ऐसी शिकायत का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा किया जाए जिसके अधीन ऐसा पूर्व न्यायालय धारा 195 की उप-धारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है।

(3) इस धारा के तहत की गई शिकायत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे -

(क) जहाँ शिकायत करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है,

न्यायालय का ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय नियुक्त करे;

(ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या

न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय अधिकृत करे

इस बारे में लिखें।

(4) इस धारा में "न्यायालय" का वही अर्थ है जो धारा में है।

195. "

पहली शर्त यह है कि किसी व्यक्ति ने अदालत के समक्ष एक संपादन में गलत हलफनामा दिया है और दूसरी बात यह है कि अदालत की राय में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच करना न्याय के हित में है।उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में।

73. के. करुणाकरन बनाम। टी. वी. ईचेरा वारियर और एक अन्य, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 290 में दर्ज, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 19,20 और

इसके अंतर्गतः

" 19. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय XXVI

प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान करता है

न्याय की। सेक. 340 , Cr.P.C, जिसके साथ अध्याय खुलता है, दंड प्रक्रिया [2022] 11 एस. सी. आर. की पुरानी धारा 476 के बराबर है।

कोड, 1898। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजरा है।

अपील के प्रावधान के संबंध में परिवर्तन जो पुरानी धारा 476-बी, Cr.P.C के तहत था। धारा 476-बी, Cr.P.C के तहत। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जिसमें अपील की जाती है

यह आम तौर पर ऐसे पूर्व न्यायालय की अपील योग्य डिक्री या सजा से लिया जाता है। धारा 476-बी (पुराना) के तहत होगा

आम तौर पर आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार था

इस न्यायालय में उच्च न्यायालय। हालाँकि, इस न्यायालय में धारा 340 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील के संबंध में धारा 341, Cr.P.C (नया) के तहत उस स्थिति से एक अलग विचलन है। धारा 340 की धारा (1) या उप-धारा (2) को कम करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश विशेष रूप से है

20. चाहे, स्वतः संज्ञान में, या धारा 340 (1), Cr.P.C के तहत किसी पक्ष के आवेदन पर, एक अदालत जो पहले से ही किसी मामले को जब्त कर चुकी है, अस्थायी रूप से यह राय हो सकती है कि न्याय के हित में किसी पक्ष या गवाह के खिलाफ आगे की कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। धारा 340 (1), Cr.P.C के तहत एक कार्यवाही में, मुख्य मामले में दर्ज कारण, जिसमें एक गलत

बयान दिया गया है, एक महान असर है और वास्तव में

गठित समग्र राय को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है।

न्यायालय द्वारा पिछली कार्यवाहियों में।

21. धारा 340 (1), Cr.P.C के तहत अदालत द्वारा की गई जांच में, मुख्य मामले के परिणाम की परवाह किए बिना, एकमात्र सवाल यह है कि क्या एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, जो, यदि अप्रमाणित है, तो स्थापित करने की उचित संभावना हो सकती है। विनिर्दिष्ट अपराध और क्या न्याय के हित में ऐसी कार्रवाई करना भी समीचीन है।

74. बबन सिंह और एक अन्य वी। जगदीश सिंह और अन्य ने ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 68 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

ग्राफ 7 निम्नानुसार हैः

" 7. इस मामले पर तीन दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। क्या झूठे शपथपत्रों की शपथ लेना एक अपराध के बराबर है हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

S.199, भारतीय दंड संहिता या किसी भी एस. एस. के तहत। 191 या 192, भारतीय दंड संहिता? यदि यह दो बाद की धाराओं के तहत आता है, तो वर्तमान अभियोजन को कायम नहीं रखा जा सकता है, धारा

199 एक घोषणा से संबंधित है और यह नहीं बताता है कि

घोषणा शपथ पर होनी चाहिए। एकमात्र शर्त आवश्यक है

कि घोषणा को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए और जिसे कोई भी न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा बाध्य या अधिकृत है।

धारा 191 शपथ पर साक्ष्य से संबंधित है और S.192 के साथ

झूठे सबूत गढ़ना। अगर हम इस मामले पर विचार करें

S.191, भारतीय दंड संहिता के दृष्टिकोण से अपराध है मिथ्या शपथ द्वारा गठित किया जाता है जब कोई शपथ द्वारा बाध्य होता है

सच बताइए क्योंकि शपथ पत्र एक घोषणा होती है

एक शपथ के तहत। गलत देने के अपराध की परिभाषा

इस प्रकार साक्ष्य शपथपत्रों पर लागू होता है। अपराध S.192 के अंतर्गत भी आ सकता है। यह अन्य बातों के साथ यह बताता है कि एक व्यक्ति कहा जाता है।

न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होना और इसलिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित होना किसी भी व्यक्ति का कारण बन सकता है, जो ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य पर एक राय बनाना है, एक का मनोरंजन करना है

परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए गलत राय

ऐसी कार्यवाही। जब बबन सिंह और धारिचन कुएर

उच्च न्यायालय में दिए गए अपने हलफनामों में जो घोषणाएं की गई थीं, उन पर विचार करने के लिए, उन्होंने न्यायिक कार्यवाही में बयानों को साक्ष्य के रूप में पेश करने का इरादा किया।

और इसलिए उपस्थित होने के कारण, न्यायालय को एक

समझौते के बारे में गलत राय। इस तरह उनका अपराध एस. एस. के शब्दों में आया। 191/192 इसके बजाय भारतीय दंड संहिता का S.199। इस प्रकार वे प्रथम दृष्टया थे

झूठा सबूत देने या मनगढ़ंत करने के अपराध का दोषी

न्यायिक कार्य में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्ष्य

आगे बढ़ रहा है "।

75. शुरू करने पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कानून

हमारे कई निर्णयों में संशोधन निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार ओओ राम वी। राधे श्याम, (1971) 1 एस. सी. सी. 774, यह न्यायालय, पैरा में

नीचे दिए गए अनुसारः

" 7. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलत सबूत देना और गलत दाखिल करना

शपथपत्र एक बुराई है जिस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जाना चाहिए मजबूत हाथ लेकिन बहुत आसानी से झूठी गवाही के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए

और बहुत बार उचित देखभाल और सावधानी के बिना और

अनिर्णायक और संदिग्ध सामग्री अपने उद्देश्य को ही विफल कर देती है।

अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब इसे समीचीन माना जाए

न्याय के हित में अपराधी को दंडित करना और नहीं केवल इसलिए कि कथन में कुछ अशुद्धि है जो

निर्दोष या महत्वहीन हो सकता है। प्रथम दृष्टया ऐसा होना चाहिए

सार के मामले में जानबूझकर झूठ बोलने का मामला और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि उचित है

शुल्क के लिए आधार।

76. इसी तरह चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम। महाराज सिंह अन्य, (1982) 1 एस. सी. सी. 466, इस न्यायालय ने पैरा 14 में निम्नानुसार कहा हैः

" 14. यह कथित अपराध पर विचार करने के लिए छोड़ देता है

धारा 199 के तहत। धारा 199 के लिए दंड का प्रावधान है

एक घोषणा में गलत बयान देना जो कानून द्वारा है

किराए से पहले परिसर के आवंटन के लिए एक कार्यवाही में नियंत्रण अधिकारी साक्ष्य के रूप में प्राप्य हैं। इसकी शिकायत है।

कि इन शपथपत्रों में कुछ कथन गलत हैं, हालांकि नहीं

इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट अनुमान में अलग किया गया है

शिकायत करें। जब यह आरोप लगाया जाता है कि किसी घोषणा में एक गलत बयान दिया गया है जो किसी भी मामले में सबूत के रूप में प्राप्त करने योग्य है।

न्याय न्यायालय या किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति के समक्ष,

कथित रूप से झूठा बयान दिया जाना चाहिए और इसका

कुछ में पाए गए सत्य के संदर्भ में कथित झूठ

दस्तावेज़ को यह इंगित करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए कि दोनों परिस्थितियाँ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकतीं, दोनों एक ही कारण से जिम्मेदार हैं।

व्यक्ति और, इसलिए, उसकी जानकारी में एक गलत होना चाहिए।

द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए गए शपथ पत्रों में निर्धारित प्रतिद्वंद्वी दलीलें

ओनस प्रोबन्दी के संदर्भ में अदालतें प्रस्तुत नहीं करती हैं

धारा 199, आई. पी. सी. के तहत आरोप के लिए आधार

मुद्दा, अपीलार्थी-1 चंद्रपाल सिंह ने आरोप लगाया कि वह था

परिसर संख्या 385/के हिस्से के रूप में एक कमरे के कब्जे में 2. विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जांच के बाद

सभी प्रतिद्वंद्वी हलफनामों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यह

झूठा नहीं बनता है। एकमात्र निष्कर्ष यह है कि कथन हिमांशु कुमार और अन्य v।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

चंद्रपाल सिंह द्वारा किए गए सबूतों ने मामले में अन्य प्रासंगिक सबूतों की ओर देखते हुए विश्वास को प्रेरित नहीं किया। स्वीकृति या अस्वीकृति

साक्ष्य का होना अपने आप में एक पर्याप्त पैमाना नहीं है एक को झूठा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। झूठ का आरोप तब लगाया जा सकता है जब सच सामने आ जाए।

स्पष्ट रूप से और उस व्यक्ति के ज्ञान के लिए जो है

गलत बयान देना। अदालतों में गवाहों के एक समूह द्वारा किए गए बयानों को दिन-ब-दिन स्वीकार किया जाता है और जवाबी बयानों को खारिज कर दिया जाता है। यदि ऐसे सभी मामलों में धारा 199, आई. पी. सी. के तहत शिकायतें दायर की जाती हैं, तो न केवल मुकदमेबाजी के द्वार खुलेंगे, बल्कि यह निर्विवाद रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने हमें बताया कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है और जब तक कि अदालतें ठोस कार्रवाई नहीं करती हैं

ऐसे व्यक्तियों पर पूरे जोर से पैर रखें

न्यायिक प्रक्रिया का उपहास किया जाएगा। हम कुछ ताकत देखते हैं

समर्पण लेकिन यह समान रूप से सच है कि दुखी और

हताश वादियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

सस्ते में अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके उनकी हताशा

आपराधिक अदालत। यहाँ शिकायतकर्ता एक अधिवक्ता है। वह किराया नियंत्रण कार्यवाही में दोनों अदालतों में हार गया और अब आपराधिक अदालत में चला गया है। यह अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। इसके साथ यह तथ्य भी जोड़ा जाए कि दोनों पक्षों के बीच एक और मुकदमा 1975 से लंबित था। निष्कर्ष अपरिहार्य है कि आह्वान करना

इस पृष्ठभूमि में आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक है

कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करते हुए इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत। पी. सी. "

77. उपरोक्त दोनों निर्णयों को संदर्भित किया गया और उन पर भरोसा किया गया

आर. एस. सुजाता बनाम में अनुमोदन कर्नाटक राज्य और अन्य, (2011) सी 689। इस न्यायालय ने इनमें निर्धारित कानून निर्धारित करने के बाद

तर्कों ने निष्कर्ष निकालाः

" 18. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जांच /

अदालत द्वारा अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए असाधारण परिस्थितियां जहां अदालत की राय है कि किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर झूठी गवाही दी गई है

अदालत से कुछ लाभकारी आदेश प्राप्त करें। इस तरह की कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल अनुमान या संदेह से अधिक प्रकृति के आधार होने चाहिए। विशिष्ट प्रमाण होना चाहिए [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का

संदेह झूठी गवाही का आरोप घर नहीं ला सकता है। इसके अलावा, अदालत को तथ्यों के आधार पर यह भी निर्धारित करना होगा कि क्या न्याय के हित में किए गए अपराध की जांच करना समीचीन है।

78. यह उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से स्पष्ट होता है।

कि कुछ जानबूझकर होना चाहिए-एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए जो इसके परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है

इसकी तुलना निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा से करें। 79. यह सच है कि एक शपथ पत्र आई. पी. सी. की धारा 191 के अर्थ के भीतर 'सबूत' है और एक गलत शपथ पत्र की शपथ लेने वाला व्यक्ति है

झूठी गवाही का दोषी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। झूठी गवाही के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले, संबंधित अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह न्याय के हित में ऐसे अभियोजन को मंजूरी देना समीचीन होगा। इस स्तर पर अदालतों को जो देखना है वह यह है कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने को सही ठहराने के लिए भारत संघ (इसमें प्रतिवादी) द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत हैं, विशेष रूप से, रिट याचिकाकर्ता नं। 1 इसमें जिन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था

स्वयं और अन्य रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से और यह नहीं कि क्या साक्ष्य उनकी दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को प्रथम दृष्टया यह राय नहीं होनी चाहिए कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक कानून की मशीनरी को स्थापित करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय को आगे यह देखना होगा कि झूठा बयान जानबूझकर और सचेत था और दोषसिद्धि उचित रूप से संभावित या संभावित है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन को मंजूरी देने से पहले किसी सार के मामले में झूठ का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए उचित आधार है। (S.P.Kohli v देखें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1753)

80. यह न्यायालय, मुथु करुप्पन, पुलिस आयुक्त, चेन्नई बनाम के मामले में। परिथिल्लमवाझुथी और एक अन्य, में रिपोर्ट किया गया (2011) 5 एस. सी. सी. 496, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

" 15. झूठा हलफनामा दाखिल करके गलत सबूत देना बुराई है।

जिस पर प्रभावी रूप से एक मजबूत हाथ से अंकुश लगाया जाना चाहिए। अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब न्याय के हित में अपराधी को दंडित करना समीचीन माना जाए, लेकिन वहां हिमांशु कुमार और अन्य v.

सार के मामले पर "जानबूझकर झूठ" का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि

शुल्क के लिए एक उचित आधार है।
16. निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा जांच/अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

असाधारण परिस्थितियां जहां अदालत की राय है कि अदालत से कुछ लाभकारी आदेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर एक पक्ष द्वारा झूठी गवाही दी गई है। इस तरह की कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल अनुमान या संदेह से अधिक प्रकृति के आधार होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए

संदेह झूठ बोलने के आरोप को घर नहीं ला सकता है
बयान, इससे भी अधिक, अदालत को तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि क्या न्याय के हित में जांच करना समीचीन है

अपराध जो किया गया प्रतीत होता है।

81. सी. आर. पी. सी. की धारा 340 प्रीतीश बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। की स्थिति

महाराष्ट्र (2002) 1 एस. सी. सी. 253। प्रीतीश (ऊपर) में, इस न्यायालय से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या न्यायालय की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य है और आगे, क्या अदालत को उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता है जिसके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि शिकायत दर्ज करने से पहले अभियुक्त को एक अवसर अनिवार्य नहीं था, और कहा कि प्रारंभिक जांच स्वयं अनिवार्य नहीं थी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9. उप-धारा के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रावधान का केंद्र अदालत द्वारा एक राय का गठन है (जिसके समक्ष कार्यवाही की जानी थी) कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि किसी ऐसे अपराध की जांच की जानी चाहिए जो प्रतीत होता है कि किया गया था। इसके लिए

इस तरह की राय बनाने के लिए अदालत को एक आयोजित करने का अधिकार है

प्रारंभिक जाँच। यह आकस्मिक नहीं है कि इस तरह की प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इस तरह की प्रारंभिक जांच के बिना भी अदालत इस तरह की राय बना सकती है जब अदालत को यह प्रतीत होता है कि [2022] 11 एस. सी. आर. के संबंध में कोई अपराध किया गया है।

उस अदालत में कार्यवाही। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब अदालत इस तरह की राय बनाती है तब भी यह अनिवार्य नहीं है

कि अदालत को शिकायत करनी चाहिए। इस उप-धारा ने न्यायालय को ऐसा करने की शक्ति प्रदान की है। इसका मतलब यह नहीं है कि कि अदालत को, निश्चित रूप से, एक शिकायत करनी चाहिए। लेकिन एक बार जब अदालत ऐसा करने का फैसला करती है, तो अदालत को करना चाहिए

इस आशय का निष्कर्ष निकालना कि तथ्य स्थिति पर न्याय के हित में यह समीचीन है कि अपराध की आगे जांच की जानी चाहिए। यदि न्यायालय को इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रारंभिक जांच करना आवश्यक लगता है तो वह है -

ऐसा करने के लिए अदालत हमेशा तैयार रहती है, हालांकि ऐसी किसी भी प्रारंभिक जांच की अनुपस्थिति अदालत द्वारा अपनी राय के संबंध में किए गए निष्कर्ष को दूषित नहीं करेगी। यह फिर से होना चाहिए

याद रखें कि उप-धारा में विचार की गई प्रारंभिक जांच यह पता लगाने के लिए नहीं है कि क्या कोई विशेष व्यक्ति है

दोषी है या नहीं। इसके अलावा, प्रारंभिक जांच का उद्देश्य, भले ही अदालत इसे संचालित करने का विकल्प चुनती हो, केवल यह तय करना है कि क्या न्याय के हित में उस अपराध की जांच करना समीचीन है जो किया गया प्रतीत होता है।

10. " संहिता की धारा 2 (जी) में "जांच" को इस संहिता के तहत एक परीक्षण के अलावा प्रत्येक जांच के रूप में परिभाषित किया गया है।

मजिस्ट्रेट या अदालत "। यह पूर्व-परीक्षण जांच को संदर्भित करता है, और वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ है द्वारा की जाने वाली जांच

मजिस्ट्रेट। एक बार अदालत जो एक राय बनाती है, चाहे वह प्रारंभिक जांच करने के बाद हो या नहीं,

कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि किसी भी अपराध की जांच की जाए, उक्त न्यायालय को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में शिकायत करनी होगी।

चिंतित हैं। चूंकि इसमें शामिल सभी अपराध संहिता के "वारंट मामले" [जैसा कि धारा 2 (x) में परिभाषित किया गया है] के दायरे में आते हैं, संबंधित मजिस्ट्रेट को संहिता के अध्याय XIX में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस संदर्भ में हम यह इंगित कर सकते हैं कि संहिता की धारा 343 निर्दिष्ट करती है कि वह मजिस्ट्रेट जिसे धारा 340 के तहत शिकायत की गई है। मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था। कि स्थिति होने के नाते, मजिस्ट्रेट पर

शिकायत प्राप्त करने के लिए धारा 238 के तहत कार्रवाई की जाएगी संहिता की धारा 243।

हिमांशु कुमार और अन्य बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

11. संहिता की धारा 238 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट शुरू में खुद को संतुष्ट करेगा कि सभी प्रासंगिक प्रतियां

अभियुक्तों को दस्तावेज दिए गए हैं। धारा 239 मजिस्ट्रेट को शिकायत और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने का आदेश देती है। वह अभियुक्त की ऐसी जाँच भी कर सकता है जो वह आवश्यक समझता है। फिर मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को सुनना होता है ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ आरोप निराधार हैं। यदि वह आरोपों को निराधार पाता है तो उसे उस स्तर पर अपने कारणों को दर्ज करके आरोपी को आरोपमुक्त करना होगा। संहिता की धारा 240 कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट

उपरोक्त जांच में यह राय दी गई है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, उसे अभियुक्त के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करना होगा। फिर इस तरह के आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या नहीं।

नहीं। यदि वह अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ना होगा। तब तक जाँच जारी रहती है मजिस्ट्रेट।

12. इस प्रकार, जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जाती है, उसे यह सुनने का कानूनी अधिकार है कि उस पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस तरह के कानूनी अधिकार की परिकल्पना तभी की जाती है जब मजिस्ट्रेट आरोपी को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाता है। तब संबंधित व्यक्ति को संहिता की धारा 239 में परिकल्पित पूर्व परीक्षण जांच में भाग लेने का अधिकार है। उसके लिए मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना खुला है कि उसके खिलाफ आरोप निराधार हैं और वह आरोपमुक्त होने का हकदार है।

13. ऊपर वर्णित योजना से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है जिनके खिलाफ वह अदालत अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भले ही प्रारंभिक जांच चरण के दौरान इस तरह के अवसर को प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है, यह तथ्य कि आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को संहिता की धारा 341 में अपील प्रदान की गई है, उसके अधिकार का संकेत है।

ऐसी प्रारंभिक जाँच में भाग लेना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. संहिता की धारा 341 पक्ष को एक शक्ति प्रदान करती है

जिनके आवेदन पर अदालत ने फैसला किया है या नहीं किया है

शिकायत करें, साथ ही उस पक्ष के खिलाफ भी जिसके खिलाफ वह है

इस तरह की शिकायत करने का फैसला किया, अदालत में अपील दायर करने के लिए जिसके अधीन पूर्व न्यायालय है। लेकिन केवल तथ्य

कि ऐसी अपील प्रदान की गई है, यह एक आधार नहीं है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि न्यायालय वहन करने के लिए एक कानूनी दायित्व के अधीन है

(दी जाएगी) शिकायत करने से पहले सुनी जाएगी। पहुँचने के लिए संहिता में अन्य प्रावधान हैं

यह निष्कर्ष निकालना कि क्या किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

आपराधिक कार्यवाही में या नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश में

कार्यवाहियों का न्यायालय पर कोई कानूनी दायित्व नहीं है या

सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी

पहले से ही धारा के प्रावधानों के अवसर का लाभ उठाया 341 उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके संहिता

जैसा कि पहले बताया जा चुका है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

18. हम विद्वानों के उक्त दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं।

एकल न्यायाधीश को इसी धारणा के तहत लिया गया था

कि अपराध की जांच का आदेश देने का निर्णय स्वयं ही होगा

प्रथम दृष्टया उसे, यदि दोषी नहीं है, तो उसके बहुत करीब रखने के बराबर है।

उसके अपराध का पता लगाना। हम पहले ही बता चुके हैं कि

प्रारंभिक जांच करने का उद्देश्य इसके लिए नहीं है।

किसी भी तरह से उद्देश्य। अभियुक्त होना आवश्यक नहीं है क्योंकि

न्यायालय ब्याज में समीचीनता के प्रश्न पर निर्णय लेगा

न्याय की कि जाँच की जानी चाहिए। हम पार कर चुके हैं

कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय जिनका विचार था कि

जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी

प्रारंभिक जाँच में भाग लेने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है (वीडियो

M.Muthuswamy v. विशेष पुलिस प्रतिष्ठान [1985 सी. आर. आई. एल. जे.

420 (पागल)]) "।

(जोर दिया गया)

82. एम. एस. शेरिफ और एक अन्य वी. मद्रास राज्य और अन्य,

1954 एस. सी. 397, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि नहींव्यक्तियों के अपराध या निर्दोषता पर मुकदमा अदालत हिमांशु कुमार और अन्य बनाम द्वारा किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सी. आर. पी. सी. की धारा 340 के तहत आदेश पारित करते हुए। उस स्तर पर एक अभ्यास यह पता लगाने के लिए नहीं है कि क्या कोई अपराध किया गया था या किसने किया था। दायरा यह देखने तक सीमित है कि क्या अदालत तब उपलब्ध सामग्रियों पर निर्णय ले सकती है कि मामले की आपराधिक अदालत द्वारा जांच की आवश्यकता है और न्याय के हित में इसकी जांच करना समीचीन है। संविधान पीठ के इस निर्णय का प्रीतीश (उपरोक्त) में भी पालन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत जब धारा 340 के तहत शिकायत करने का फैसला करती है, तो उस व्यक्ति के अपराध या निर्दोष होने के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए नहीं है, जिसके खिलाफ किसी व्यक्ति के समक्ष शिकायत की जानी है।

मजिस्ट्रेट।

83. हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख और जवाब भी दे सकते हैं।

आरिश असगर कुरैशी बनाम का मामला। फरीद अहमद कुरैशी और एक अन्य, (2019) 18 एस. सी. सी. 172 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस अदालत ने चर्चा की

और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के साथ पठित धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को समझाया। इस न्यायालय ने "जानबूझकर" और "जानबूझकर" नामक दो शब्दों पर बहुत जोर दिया। इस न्यायालय ने महाभियोग की आवश्यकता के बारे में बात की कार्यवाहियों की शुरुआत के उद्देश्य के लिए साक्ष्य। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए और इसकी तुलना निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्य के साथ करने के परिणामस्वरूप इसे गलत पाया जाना चाहिए। हम इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं:

जानबूझकर और सचेत रूप से जो परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है इसकी तुलना निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या

अग्रिम जमानत आवेदन में दिए गए बयान का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। निर्विवाद साक्ष्य के खिलाफ सबूत के रूप में अभी तक नहीं किया गया है

नेतृत्व किया। इसके अलावा, 12.11.2011 की रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, जो

द्वारा एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रकृति में है

किसी भी परिस्थिति में निर्दोष प्रमाण नहीं माना जा सकता है अग्रिम में दिए गए बयानों के विपरीत

जमानत याचिका "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. हालाँकि, शरद एर बनाम के मामले में बाद के निर्णय में। जगमोहन डालमिया, (2010) 15 एस. सी. सी. 290

उपरोक्त प्रश्न के समान, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ आगे बढ़ी।

निम्नलिखित रूप में सेवा दें:

" 7. दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने से पहले

प्रतिवादी 1 से 6 तक, विद्वत एकल न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत विचार के अनुसार प्रारंभिक जांच करे और इसके लिए भी कि वह अभियुक्त होने का अवसर प्रदान करे।

प्रतिवादियों को सुना गया, जो स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया था।

8. इसलिए, हम न्याय के हित में, इन अपीलों की अनुमति देते हैं, धारा 340 के तहत प्रतिवादी 1-वादी द्वारा दायर आवेदन में पारित उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं।

सी. आर. पी. सी. और कानून के अनुसार धारा 340 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजें, और होने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिवादियों को सुना, जिनके खिलाफ विद्वान एकल

न्यायाधीश ने जाँच का आदेश दिया।

85. बाद में, प्रीतीश (ऊपर) में निर्णय अमरसंग नाथाजी (ऊपर) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ पर निर्भर होने लगा।न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के औचित्य से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत एक शिकायत, पीठ ने

नाथाजी ने इस प्रकार गाया:

" 7. न्यायालय द्वारा राय बनाने की प्रक्रिया में कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि जांच की जानी चाहिए, आवश्यकता केवल उस अपराध की प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए जो किया गया प्रतीत होता है। यह अदालत के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए खुला है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। मामले में, अदालत अन्यथा है

ऐसी राय बनाने की स्थिति, कि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत निर्दिष्ट अपराध किया गया है, अदालत के साथ वितरित कर सकते हैं

प्रारंभिक जाँच। ऐसा प्रतीत होता है कि किए गए अपराध के बारे में राय बनाने के बाद भी, यह अनिवार्य नहीं है कि शिकायत हिमांशु कुमार और अन्य बनाम के मामले के रूप में दर्ज की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बेशक। (प्रीतीश वी. देखें। महाराष्ट्र राज्य [प्रीतिश बनाम। राज्य

महाराष्ट्र का, (2002) 1 एस. सी. सी. 253)

86. समान शक्ति के इस न्यायालय के दो फैसलों, यानी प्रीतिश (ऊपर) और शरद पवार (ऊपर) के बीच संघर्ष किया गया था।

पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई सूचना v. जसबीर सिंह, (2020) 12 एस. सी. सी. 96। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने अंततः इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए उचित समझा। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 14. किसी भी मामले में, यह देखते हुए कि शरद पवार (ऊपर) की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कोई कारण नहीं बताया गया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच की आवश्यकता के बारे में प्रीतिश (ऊपर) में एक समन्वित पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय से क्यों अलग हो रही है, और साथ ही इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में इस अदालत की एक संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को भी, हम इसे आवश्यक पाते हैं। कि वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए

इसका विचार, विशेष रूप से निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सवाल -

14.1 (i) क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 एक प्रारंभिक जांच को अनिवार्य करती है और संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत किए जाने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देती है।

अदालत?

14.2 ((ii) इस तरह के प्रारंभिक कार्य का दायरा और दायरा क्या है?

जाँच? "

87. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त दो प्रश्नों पर एक बड़ी पीठ को निर्देश अभी भी लंबित है।

88. हालाँकि, हम उपरोक्त संदर्भ में आगे इस पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा नहीं रखते हैं, अर्थात क्या यह लोगों के हित में समीचीन होगा।

झूठी गवाही के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए न्याय। हम कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमने इतने शब्दों में कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि यह सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है।

89. उपरोक्त संदर्भ में, हमारे दिमाग में कुछ और है। हम आई. पी. सी. की धारा 211 पर गौर करने का प्रस्ताव करते हैं। आईपीसी की धारा 211 है -

यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" धारा 211। चोट पहुँचाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप। जो कोई भी, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कारण बनता है, या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से; और यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही मौत, [आजीवन कारावास], या सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर शुरू की जाती है, तो वह सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडनीय होगी, और वह भी उत्तरदायी होगी।

ठीक है "।

90. धारा 211, आई. पी. सी. को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व यह हैं कि शिकायत में किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाया जाना चाहिए

एक अपराध किया। शिकायतकर्ता को शिकायत करते समय यह पता होना चाहिए कि शिकायत करने के लिए कोई उचित या वैध आधार नहीं है। व्यक्ति के खिलाफ आरोप। यह शिकायत किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से दी गई होगी।

91. सी. आर. पी. सी. यह परिभाषित नहीं करता है कि किसी अपराध का "आरोप" क्या है या "आपराधिक कार्यवाही की स्थापना" के बराबर क्या है। लेकिन, हमारी राय में, इस धारा में एक झूठे "आरोप" को किसी भी प्रतिबंधित या तकनीकी अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसके सामान्य अर्थ में, कानून द्वारा बाध्य किसी भी प्राधिकारी पर इसकी जांच करने या इसके संबंध में कोई कदम उठाने के लिए किए गए झूठे आरोप, जैसे कि जांच या अन्य उद्देश्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना। कार्यवाही, और आपराधिक कार्यवाही की स्थापना में गति में आपराधिक कानून की स्थापना शामिल है। दोनों अभिव्यक्तियों की प्रकृति और उनके बीच के अंतर को करीम बक्स बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है। क्वीन एम्प, 17 सी. 574। यह इंगित करता है कि एक आरोप हो सकता है जो आपराधिक कार्यवाही की स्थापना के बराबर नहीं है और आपराधिक कार्यवाही हो सकती है जिसमें आवश्यक रूप से किसी भी अपराध का आरोप शामिल नहीं है। पूर्व के एक उदाहरण के रूप में यह इंगित करता है कि सिविल न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्रकार के सार्वजनिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए किया गया आरोप एक आरोप हो सकता है "लेकिन

आपराधिक कार्यवाही की संस्था नहीं है "। यह आगे बताता है कि एक हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पीड़ित व्यक्ति आपराधिक कानून को या तो लागू करने की कोशिश कर सकता है

आरोप लगाना या संहिता की भाषा में पुलिस को जानकारी देना (धारा 154 सी. आर. पी. सी.) "या वह" मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप लगा सकता है, या जैसा कि संहिता इसे कहती है, शिकायत (धारा 190 सी. आर. पी. सी.) "।

92. हम आई. पी. सी. की धारा 211 का उल्लेख इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि रिट द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट

विभिन्न पुलिस थानों में याचिकाकर्ताओं की जांच की गई और जांच के अंत में, जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पुलिस बल की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि नरसंहार के लिए नक्सल जिम्मेदार थे। प्रथम दृष्टया, यह कहा जा सकता है कि गलत जानकारी पुलिस बल द्वारा कथित नरसंहार के संबंध में पुलिस को पहले मुखबिरों द्वारा दिया गया था।

93. आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए तृप्त होने की आवश्यकता को इस न्यायालय द्वारा संतोख सिंह और अन्य मामलों में स्पष्ट किया गया था। वी. इजहार हुसैन और अन्र। , (1973) 2 एससीसी 406। संबंधित अनुच्छेद यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 10. ..... यह धारा अपने सीमांत नोट के रूप में इंगित करती है कि यह चोट पहुँचाने के इरादे से अपराध के दंडनीय झूठे आरोप को प्रस्तुत करती है। आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध का अनिवार्य घटक किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाने के समान इरादे से उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या शुरू करना है।

यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है। झूठे अपराधी को स्थापित करना या प्रेरित करना

कार्यवाही मिथ्या आरोप मानती है लेकिन मिथ्या आरोप को तब भी प्राथमिकता दी जा सकती है जब कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है। श्री कोहली स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने वाला नहीं कहा जा सकता है। ताकि आई. पी. सी. की धारा 211 के उस हिस्से को समाप्त कर दिया जाए। अब, अभिव्यक्ति "गलत है"

हमारी राय में, इस धारा में आरोपों का अर्थ किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गलत सबूत देना नहीं हो सकता है।

आपराधिक मुकदमे का पाठ्यक्रम। "झूठा आरोप" लगाने के लिए मूल या प्रारंभिक आरोप लगाने या आपराधिक जांच के तंत्र को गति देने की मांग को संदर्भित करना चाहिए, न कि उस मुकदमे में बनाए गए आरोप के समर्थन में बयान देकर झूठे आरोप को साबित करने के लिए बोलते समय। "झूठे आरोप" शब्दों को "आपराधिक संस्था [2022] 11 एस. सी. आर". अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

आगे बढ़ रहा है "। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ, समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होने के कारण, उनके संज्ञानात्मक अर्थों में उपयोग की गई हैं। उन्हें एक-दूसरे से अपना रंग और सामग्री मिलती है। ऐसा लगता है कि उनका उपयोग तकनीकी अर्थों में किया गया है जैसा कि आमतौर पर हमारे आपराधिक कानून में समझा जाता है। झूठा है।

इसलिए, आरोप शुरू में किसी अधिकारी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जो अपराधी को उचित कार्यवाही द्वारा दंडित करने की स्थिति में हो। दूसरे शब्दों में, इसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।

पुलिस अधिकारी या उस व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले अधिकारी के खिलाफ शिकायत या संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। "आरोप" का गठन करने के लिए बयान स्थापना के इरादे और उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए।

गति में आपराधिक कानून। ..... " .

94. इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संतोख सिंह बनाम में समझाया गया है। इजहार हुसैन (ऊपर), धारा के तहत अपराध का आवश्यक घटक

211 आई. पी. सी. किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाने के समान इरादे से उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या शुरू करना है, यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या वैध आधार नहीं है।

झूठी आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या शुरू करना गलत आरोप माना जाता है लेकिन कोई आपराधिक कार्यवाही न होने पर भी झूठे आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब, हमारी राय में, इस धारा में "झूठे आरोप" अभिव्यक्ति का अर्थ आपराधिक मुकदमे के दौरान किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गलत सबूत देना नहीं हो सकता है। को।

झूठा आरोप "मूल या प्रारंभिक आरोप को संदर्भित करना चाहिए या आपराधिक जांच के तंत्र को गति देने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उस मुकदमे में बनाए गए आरोप के समर्थन में बयान देकर झूठे आरोप को साबित करने की कोशिश करते समय। "झूठे आरोप" शब्दों को "आपराधिक कार्यवाही की संस्था" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ, समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होने के कारण, उनके संज्ञानात्मक अर्थों में उपयोग की गई हैं। उन्हें वैसा ही मिलता है

उनका रंग और विषय-वस्तु एक-दूसरे से अलग थे। ऐसा लगता है कि उनका उपयोग तकनीकी अर्थों में किया गया है जैसा कि आमतौर पर हमारे आपराधिक कानून में समझा जाता है। इसलिए, झूठा आरोप शुरू में किसी अधिकारी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जो अपराधी को दंडित करने की स्थिति में हो। उचित कार्यवाही। दूसरे शब्दों में, यह या तो शिकायत में या पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट में सन्निहित होना चाहिए या

उस व्यक्ति पर अधिकार रखने वाले अधिकारी के खिलाफ जिसके खिलाफ आरोप हिमांशु कुमार और अन्य बनाम।

बनाए जाते हैं। "आरोप" का गठन करने के लिए बयान आपराधिक कानून को गति देने के इरादे और उद्देश्य के साथ दिया जाना चाहिए।

95. इस प्रकार, हम इसे छत्तीसगढ़ राज्य/सी. बी. आई. (केंद्रीय जांच ब्यूरो) पर छोड़ते हैं कि वे इसके अनुसार उचित कदम उठाए।

अंतरिम आवेदन में किए गए दावों के संदर्भ में ऊपर चर्चा की गई विधि। हम स्पष्ट करते हैं कि यह केवल आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध तक ही सीमित नहीं होगा। आपराधिक साजिश या किसी अन्य का मामला आई. पी. सी. के तहत अपराध भी सामने आ सकता है। हमें ऐसी कार्रवाई/कार्यवाही पर कोई अंतिम राय व्यक्त करने के बारे में नहीं समझा जा सकता है। हम कार्रवाई करने के लिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य/सी. बी. आई. के बेहतर विवेक पर छोड़ते हैं।

विषय अंतर्वर्ती आवेदन के पैरा 67 (बी) के संदर्भ में अनुरोध की गई राहत इसके द्वारा प्रदान की जाती है।
96. हम उपरोक्त पर चर्चा करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 से अनजान नहीं रहे हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि

वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार यदि अंततः छत्तीसगढ़ राज्य/सी. बी. आई. ऊपर चर्चा किए गए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्णय लेता है तो धारा 195 सी. आर. पी. सी. का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एम. एल. सेठी बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। आर. पी. कपूर ने ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 528 में प्रतिवेदन दिया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 10. धारा 195 की उप-धारा (1) के इस खंड (बी) की व्याख्या में हमारे सामने इस पर काफी जोर दिया गया है -

अभिव्यक्ति "में, या संबंध में", और यह आग्रह किया गया है कि अभिव्यक्ति का उपयोग "के संबंध में" बहुत व्यापक हो जाता है
इस धारा का दायरा और इसे उन मामलों पर लागू करता है जहां भविष्य में भी किसी ऐसे न्यायालय में कार्यवाही हो सकती है जिसके संबंध में आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। इस प्रावधान की उचित व्याख्या के लिए आवश्यक है कि इसमें प्रत्येक घटक की अलग से जांच की जाए। यदि निम्नलिखित सभी परिस्थितियाँ मौजूद हैं तो यह प्रावधान संज्ञान लेने से रोकता है। (1) कि वह अपराध जिसके संबंध में मामला लाया गया है, आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत आता है; (2) कि किसी भी अदालत में कार्यवाही होनी चाहिए; और (3) आरोप यह होना चाहिए कि अपराध

धारा 211 के तहत ऐसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया था। जब तक तीनों तत्व मौजूद नहीं हैं, तब तक धारा 195 (1) (बी) के तहत मजिस्ट्रेट, [2022] 11 एस. सी. आर. द्वारा संज्ञान लेने के खिलाफ रोक है।

अदालत की लिखित शिकायत के अलावा, इसमें नहीं आएगा

ऑपरेशन। इसलिए, वर्तमान मामले में भी हमें यह देखना होगा कि क्या ये तीनों तत्व उस समय मौजूद थे जब चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय लिया था।

अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत आरोप का संज्ञान।

इस मामले में, जैसा कि हम तथ्यों की गणना करते समय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जिस शिकायत का संज्ञान चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिया था, वह 11 अप्रैल, 1959 को दायर किया गया था और उस समय केवल एक ही कार्यवाही चल रही थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा अपीलार्थी द्वारा 10 दिसंबर, 1958 को पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर की जा रही थी। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उस स्तर पर, जाँच करते समय उस एफ़. आई. आर. के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही हुई थी। यह प्रश्न कि क्या किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही है, तीन स्थितियाँ हैं जिनकी परिकल्पना की जा सकती है। एक यह है कि किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। दूसरा यह है कि किसी न्यायालय में कार्यवाही वास्तव में उस समय लंबित हो सकती है जब

आईपीसी की धारा 211 के तहत अपराध का संज्ञान लेने की मांग की गई है। तीसरा यह है कि, हालांकि किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं हो सकती है, जिसमें या जिसके संबंध में आई. पी. सी. की धारा 211 के तहत अपराध किया जा सकता था, एक कार्यवाही थी जो पहले ही समाप्त हो चुकी थी और धारा 211 के तहत अपराध पर आरोप लगाया जा सकता है कि वह या हिमांशु कुमार और अन्य बनाम में किया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उठती है। " 97. उपरोक्त के साथ, हम इस मध्यस्थता का निपटारा करते हैं

कैशन।

लिखित याचिका खारिज कर

दी गई और

भूषण बोस

वार्ताकार आवेदन का निपटारा किया गया।

शाश्वत जैन, एलसीआरए द्वारा संपादित)